विषय सूचि

	विषय सूचि	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल	3
2.	कार्यकारी	4
3.	अध्यक्ष के डेस्क से...	5
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-I	16
6.	शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-II	18
7.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख आंकड़े	22
	(ii) कंपनी का वित्तीय स्थिति	23
	(iii) कंपनी की आय और व्यय का विवरण	24
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	25
	(ii) व्यय का विवरण	25
	(iii) आय में वृद्धि	26
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में	26
	(v) सकल तथा शुद्ध परिसम्पति	27
	(vi) नियोजित पूँजी	27
9.	स्वंतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	29
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	39
11	31 मार्च, 2021 तक तुलन-पत्र	40
12.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी	41
13.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	42
14.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर नोट्स	43
15.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर नोट्स	52
16.	लेखा पर अतिरिक्त नोट्स	73
17.	नकदी प्रवाह विवरणी	79
18.	पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह	80

निदेशक मंडल

डॉ. सी के असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

श्री राजेश कुमार
निदेशक (तकनीकी) (15-6-2021 से)

श्री प्राणेश एस आर (30-11-2020 तक)
निदेशक (तकनीकी)

श्री सुखदेव सिंह (भा.प्र.से) (27-5-2020 से)
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार

श्री ए. आर. सुले (20-5-2020 से)
संयुक्त सचिव (आई एंड एम.), परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री संजय कुमार (20-5-2020 से)
संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग

डॉ. डी के सिन्हा
निदेशक, एएमडी

डॉ. दिनेश श्रीवास्तव
मुख्य कार्यकारी एन.एफ.सी

श्री बी.सी. गुप्ता
कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

मेसर्स कदमावाला एण्ड कंपनी
दुकान न0 - 115, प्रथम तल्ला, ब्लक ए क्रिस्टल आकोड, राजीव नगर,
लोधी पाड़ा चौक के नजदीक, रायपुर
रायपुर - 492007

कार्यकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	डॉ. सी के असनानी
निदेशक (वित्त)	:	श्री देवाशीष घोष
निदेशक (तकनीकी)	:	श्री राजेश कुमार
महाप्रबंधक (सी.पी. एवं माइन्स सुरक्षा)	:	श्री पी के पाढ़ी
महाप्रबंधक (इंजी, सेवाएं, एपी)	:	श्री एम एस राव
महाप्रबंधक (जादुगोड़ा खान समूह)	:	श्री मनोज कुमार
महाप्रबंधक (तुरामडीह खान समूह)	:	श्री चंचल मन्ना
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	:	श्री एम के सिंघई
महाप्रबंधक (आई./पी. एडं आर.एस./परियोजना)	:	श्री एस के शर्मा
कंपनी सचिव	:	श्री बी सी गुप्ता

अध्यक्ष के डेस्क से...

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी की 54 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूं।

कंपनी की वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, मैं कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सा समुदाय, सफाई कर्मचारियों, आवश्यक सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन प्रतिष्ठानों, हमारे कर्मचारियों और निदेशकों के अमूल्य योगदान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के खातों का लेखापरीक्षित विवरण आपको प्रस्तुत किया जाता है और आपकी सहमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं। आपकी कंपनी, 04 अक्टूबर, 1967 को भारत सरकार द्वारा निगमित, परमाणु ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने और देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर खनन और यूरेनियम अयस्क के प्रसंस्करण के लिए अनिवार्य एकमात्र इकाई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन विभिन्न कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद संतोषजनक रहा, जिसमें सभी इकाइयों के संचालन को पूरी तरह से बंद करने की अवधि और कोविड-19 आवश्यकताओं के कारण तुम्मलापल्ले मिल के लिए आवश्यक औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान शामिल था।

वर्ष 2020-21 के दौरान U_3O_8 का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था और आपकी कंपनी ने वर्ष के लिए MoU लक्ष्य को 1% से अधिक कर दिया और लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट MoU रेटिंग प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा किया है।

अगले पांच वर्षों के लिए निरंतर उत्पादन के लिए, नरवापहाड़ और तुरामडीह खानों के गहरे स्तरों के विकास के लिए दीर्घकालिक अनुबंध दिए गए हैं। सिंकिंग का बाकि कार्य और 283 मीटर गहराई तक मोहुलडीह खान शाफ्ट के लाइनिंग और लैसिंग। इन सभी इकाइयों में काम शुरू हो गया है और योजना के मुताबिक प्रगति हो रही है। भाटिन माइंस के खदान विकास एवं उत्पादन के लिए निविदा अंतिम चरण में है।

चूंकि यूसीआईएल के प्रचालनों का विस्तार जारी है, मिल टेलिंग की पारंपरिक घाटी को जब्त करने के लिए परियोजना स्थलों के निकट उपयुक्त भू-आकृतियों की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा बन गई है। इस पर काबू पाने के लिए, डबल लेयर लाइनर्स के साथ यूरेनियम टेलिंग के निकट-सतह ट्रेंच निपटान के आधार पर उन्नत तकनीक का एक पायलट स्केल परीक्षण और प्रत्येक लाइनर के ऊपर रखे छिद्रित पाइपों के नेटवर्क से युक्त लीचेट संग्रह प्रणाली और एक तैयार लैंडफिल के ऊपर रखा गया एक अभेद्य कवर सफलतापूर्वक किया गया है। इसके बाद, 990 मीटर × 310 मीटर के क्षेत्र में 63.44 लाख मीट्रिक टन टेलिंग को संभालने की क्षमता वाले 13 मीटर और 5 मीटर नीचे जमीन के ऊपर एक स्टैकिंग ऊंचाई के साथ उसी के वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

कोविड-19 से संबंधित बाधाओं के बावजूद नई परियोजनाओं को खोलने का काम अच्छी तरह से आगे बढ़ा है। कन्नमपल्ले (आंध्र प्रदेश), गोगी और कंचनकायी (कर्नाटक), रोहिल (राजस्थान), गराडीह और बनाडुंगरी (झारखंड) की प्रस्तावित पट्टा सीमाओं की सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रोहिल परियोजना के लिए खनन पट्टा और वन मंजूरी के लिए आवेदन राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इन परियोजनाओं और जाजवाल (छ.ग.) की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया है और समीक्षाधीन है। इस बीच, MoEF - CC ने कोविड-19 स्थिति के कारण विभिन्न परियोजनाओं के टीओआर की वैधता बढ़ा दी है, और परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश में तुम्मालपल्ले परियोजना के विस्तार के लिए टीओआर की वैधता 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक 18 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है।

यूरेनियम उत्पादन और रणनीतिक विकास में और वृद्धि करने के लिए, यूसीआईएल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों सहित विभिन्न देशों में यूरेनियम संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए वैश्विक अवसर तलाश रहा है। इस दिशा में, यूसीआईएल ने बाजार मूल्यांकन, रणनीतिक साझेदार के चयन और विदेशों में यूरेनियम संपत्तियों के एम एंड ए में सहायता के लिए पहले से ही एक सलाहकार (लेनदेन सलाहकार) को नियुक्त किया है। सलाहकार एक रणनीतिक निवेशक की पहचान करेगा, जो विदेश में लक्षित खदान में रणनीतिक/नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए धन का निवेश करेगा और यूसीआईएल प्रौद्योगिकी सहायता से यूरेनियम के दीर्घकालिक निकासी की गारंटी देगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और सेवानिवृत्त जनशक्ति के प्रतिस्थापन के लिए विभिन्न संवर्गों में प्रवेश स्तर के अधिकारियों और भूमि विस्थापित व्यक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है।

वर्ष 2020-21 किसी भी बड़ी सुरक्षा संबंधी घटनाओं और विपत्ति से मुक्त था। सुरक्षा प्रणालियों में निरंतर सुधार के लिए, यूसीआईएल ने प्रमुख बाहरी विशेषज्ञों को कॉर्पोरेट स्तर की सुरक्षा समिति के सदस्यों के रूप में शामिल किया है। बंदुहुरंग ओपनकास्ट खदानों में परीक्षण के आधार पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए एक नई पहल की गई है और इसे धीरे-धीरे यूसीआईएल की अन्य इकाइयों में भी अपनाया जाएगा।

गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रणालियों में व्यवस्थित सुधार के लिए, यूसीआईएल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 प्रमाणन और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएस 18001:2007 प्रमाणन रखता है। अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएं यूसीआईएल की मूल्य प्रणाली के मूल में बनी हुई हैं। आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानदंडों को बनाए रखे है।

आसपास के ग्रामीणों के लाभ के लिए, यूसीआईएल सीएसआर योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करता है। विभिन्न स्तरों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोविड-19 संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड आवंटन ने यूसीआईएल की विभिन्न इकाइयों झारखंड और आंध्र प्रदेश के आसपास की आबादी से काफी सराहना मिली है।

मैं इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए हमारे जनादेश में नई ऊंचाइयों और मील के पत्थर को प्राप्त करने के लिए निरंतर समर्थन को रिकॉर्ड में रखता हूं।

मैं इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग एवं इसके विभिन्न घटकों बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी, एनपीसीआईएल और अन्य को हर संभव तरीके से उनकी सहायता के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों और बोर्ड में अपने सहयोगियों के अथक प्रयासों और सभी अवसरों पर समर्पित प्रतिबद्धता के लिए उनके योगदान को भी रिकॉर्ड में रखना चाहूंगा।

अब, मैं निदेशकों की रिपोर्ट, 31 मार्च 2021 के बैलेंस शीट और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता आपके विचार, और अनुमोदन के लिए पेश करता हूं।

(डॉ. सी.के. असनानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई
दिनांक : 28 सितंबर 2021

निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

निदेशक मडंल की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, आपकी कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

1.0 उल्लेखनीय प्रदर्शनः

1.1 वित्तीय प्रदर्शनः

(रु. लाख में)

	वर्तमान वर्ष 2020.21	गत वर्ष 2019.20
आय	235290.24	241959.58
मूल्यह्रास से पहले लाभ	85015.46	85406.83
घटाएं: (क) मूल्यह्रास	22694.73	25723.45
कर पूर्व लाभ	62320.73	59683.38
घटाएं : (क) कर प्रावधान	17018.33	16378.62
(ख) पहले वर्ष के लिए		79.71
(ग) स्थगित कर प्रावधान	(1771.57)	(6771.23)
कर अदायगी के बाद लाभ	47073.97	49996.28
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	1074.43	(3372.32)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	48148.40	46623.96

वर्ष के दौरान कंपनी ने कॉरपोरेट आयकर, लाभांश, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर, वैट, उत्पारद शुल्क, राजस्व, सीमा शुल्क आदि के रूप में सरकारी खजाने से रु. 39346.20 लाख (गत वर्ष में रु. 18473.87 लाख) का योगदान किया है।

1.2 संचालित इकाइयों का प्रदर्शनः

वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी की सभी संचालन इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। झारखंड और आंध्र प्रदेश में संचालित सभी खदानों (भटिन खदान को छोड़कर, जो वर्तमान में विकास के लिए योजना बनाई गई है) और प्रसंस्करण संयंत्रों ने संतोषजनक प्रदर्शन किया।

1.3 चालू एवं नई परियोजनाएँः

- **खान विकास परियोजनाएं**

  बोर्ड के अनुमोदन के बाद निम्नलिखित खान विकास और संबंधित ठेके लिए गए हैं:

  - नरवापहाड़ में सतत विकास के लिए खान विकास कार्य जून, 2020 में प्रदान किया गया और कार्य अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है।
  - अगले 05 वर्षों के लिए भटिन खदान में खदान उत्पादन और एक साथ विकास कार्य के लिए निविदा शुरू की गई है और अगस्त, 2021 में मूल्य भाग खोला गया।

- तुरामडीह खदान में भूमिगत खदान विकास के लिए दीर्घकालीन ठेका दिसंबर, 2020 में दिया गया। इससे उत्पादन क्षमता को चरणों में 1500 टीपीडी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
- 283 मीटर तक 5 मीटर तैयार डाया शाफ्ट के सिंकिंग, लाइनिंग और इक्विपिंग का शेष कार्य और मोहुलडीह खदानों में इससे संबंधित कार्यों को मई, 2020 में प्रदान किया गया और काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है।

- **तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट**

तुरामडीह और बंदुहुरंग खानों के यूरेनियम अयस्कों में कम मात्रा में मैग्नेटाइट खनिज होते हैं। तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट को सह-उत्पाद के रूप में, कोल वाशरीज में इसके उपयोग के लिए मैग्नेटाइट सामग्री और बारीकी के मामले में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वैधानिक मंजूरी का इंतजार है।

नई परियोजनाएं:

(1) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में तुम्मालपल्ले विस्तार परियोजना:

यूसीआईएल ने 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी की मौजूदा सुविधा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तुम्मलापल्ले परियोजना, आंध्र प्रदेश का विस्तार किया है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2010 में तैयार की गई थी। ईआईए/ईएमपी अध्ययन आयोजित किए गए और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को प्रस्तुत किए गए।

इसके बाद, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) ने 06.01.2021 को पर्यावरण जन सुनवाई के लिए अधिसूचित किया। इस बीच, स्थानीय एनजीओ ने यूसीआईएल की विस्तार गतिविधि को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में 29.12.2020 को एक रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 323ध्2020 दायर की। रिट याचिका के आधार पर, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने 31.12.2020 को स्टे ऑर्डर जारी किया।

फलस्वरूप, यूसीआईएल ने स्टे आदेश को रद्द करने के लिए 04.01.2021 को जवाबी हलफनामा दायर किया। दिनांक 16.02.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे को खारिज करने का आदेश जारी किया और जनसुनवाई करने की अनुमति दी। हालांकि, यूसीआईएल के अनुरोध पत्र दिनांक 17.05.2021 के जवाब में, एपीपीसीबी ने अपने पत्र संख्या : के-216/पीसीबी/आरओ/केडीपी/2021-48 दिनांक 19.05.2021 द्वारा सूचित किया कि COVID-19 महामारी के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण जन सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है।

मेकॉन ने तुम्मालपल्ले विस्तार की विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का संशोधित मसौदा प्रस्तुत किया।

(2) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में कन्नमपल्ले परियोजना:

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को चलाने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कन्नमपल्ले जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार को जमा करने के लिए एएमडी को प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप, एएमडी ने डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार को एएमसीआर-2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मेकॉन ने कन्नमपल्ले परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और मसौदा विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा [नियम-6(2), एएमसीआर, 2016 के तहत] आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के बाद यूसीआईएल को खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी और कंचनकयी परियोजनाएं:

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को चलाने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गोगी भंडार की खान पट्टा सीमा का सीमांकन खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को जमा करने के लिए एएमडी को

प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप एएमडी ने डीएमजी, कर्नाटक सरकार को एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी।

इस बीच, गोगी से सटे कंचनकई में एक नए भंडार की खोज एएमडी द्वारा पूरी कर ली गई है। कंचनकई भंडार की खान पट्टा सीमा का सीमांकन भी डीएमजी, कर्नाटक सरकार को जमा करने के लिए एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात एएमडी ने डीएमजी, कर्नाटक सरकार को एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी।

एक साझा अयस्क प्रसंस्करण सुविधा की दृष्टि से, मेकॉन ने कंचनकई परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है, जबकि गोगी परियोजना के लिए टीईएफआर का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक द्वारा राज्य सरकार द्वारा [नियम- 6 (2), एएमसीआर, 2016 के तहत] यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद दोनों परियोजनाओं के लिए टीओआर के लिए एमओईएफ और सीसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्थलों पर सीएसआर गतिविधियां जारी हैं।

(4) राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल खोजपूर्ण खनन परियोजनाः

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम भंडार परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय(एएमडी) द्वारा अन्वेषण के अधीन है। यूसीआईएल और एएमडी के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार एएमडी की ओर से खोजपूर्ण खनन गतिविधियां यूसीआईएल द्वारा शुरू की गई हैं। भूमिगत कामकाज तक पहुंचने के लिए डिक्लाइन का पोर्टल 188 मीटर तक विकसित किया गया है। वाणिज्यिक खनन संचालन के दौरान आवश्यक औद्योगिक और पेयजल की भविष्य की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, बाद के चरण में किए जाने के लिए, सीकर नगर परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए, मेसर्स मेकॉन को सलाहकार के रूप में लगाया गया है। मेकॉन ने अयस्क निकाय का 3डी मॉडल तैयार किया है और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एएमडी ने पहले ही डीएमजी, राजस्थान को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंप दी है। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा [नियम- 6(2), एएमसीआर, 2016 के तहत, यूसीआईएल को खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), राजस्थान द्वारा आशय पत्र जारी करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। खनन पट्टा और वन मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था और डीएमजी ने राजस्थान सरकार को यूसीआईएल के पक्ष में दिनांक 24.08.2021 के पत्र के माध्यम से खनन पट्टे के लिए एलओआई प्रदान करने की सिफारिश की है।

(5) झारखंड के सिंहभूम (पूर्वी) जिले में यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मुसाबनी):

यूसीआईएल ने चरणों में, मोसाबनी में 0.9 एमटीपीए की कुल क्षमता के दो यूरेनियम रिकवरी प्लांट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के मोसाबनी कंसेंट्रेटर प्लांट में उत्पन्न कॉपर टेलिंग के भौतिक लाभकारी (टेबलिंग) द्वारा यूरेनियम सांद्रण की वसूली के लिए, जादूगोड़ा में यूसीआईएल के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र में इस सांद्रण से हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (एचटीयूपी) के बाद के उत्पादन के लिए प्रस्ताव दिया है। एमओईएफ द्वारा परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने इस परियोजना की अंतिम मंजूरी के लिए सिफारिश की है। पानी, बिजली की आपूर्ति और भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रक्रिया जारी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा कॉपर टेलिंग का अनुमानित उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

(6) छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जजवल परियोजनाः

एएमडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर के पास प्रस्तावित जजावल परियोजना के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है। मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमडी ने एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, छत्तीसगढ़ सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा [नियम- 6 (2)]

एएमसीआर, 2016 के तहत, डीएमजी, छत्तीसगढ़ द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने मसौदा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया।

(7) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गरडीह परियोजना:

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को चलाने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए एएमसीआर-2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा [नियम - 6 (2), एएमसीआर, 2016 के तहत, डीएमजी, झारखंड द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया।

(8) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बनाडूंगरी परियोजना:

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को चलाने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए एएमसीआर-2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा [नियम-6(2), एएमसीआर, 2016 के तहत] डीएमजी, झारखंड द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

1.4 समझौता ज्ञापन प्रदर्शन:

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को वर्ष 2020-21 के लिए ''उत्कृष्ट'' दर्जा दिए जाने की उम्मीद है।

2.0 लाभांश और लाभांश पर कर

आपके निदेशकों को 2,09,461.78 लाख रुपये की चुकता पूंजी पर 17763.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16042 लाख रुपये) के लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, 31.03.2021 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.3,500 करोड़ और सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी रु.2094.62 करोड़ रहा।

4.0 ऊर्जा/प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और प्रयुक्त और अर्जित विदेशी मुद्रा का संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी के साथ-साथ बोर्ड की रिपोर्ट, नियम-8 में शामिल किए जाने वाले मामलों के संरक्षण के संबंध में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय इस रिपोर्ट के अनुबंध-I में दिए गए हैं।

5.0 औद्योगिक संबंध :

अवधि के दौरान आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहे। कल्याण, पदोन्नति, प्रशासन, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधन और उनके ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कामगारों के बीच नियमित चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और प्रबंधन के समक्ष रखी गई शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी में औद्योगिक शांति और सद्भाव कायम रहा और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन की उपलब्धि हुई।

6.0 जनशक्ति:

31 मार्च 2021 को आपकी कंपनी की कुल जनशक्ति 4536 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कुल कार्यबल का लगभग 53.74: है। 31.03.2021 तक कंपनी में कुल 08 शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) कर्मचारी हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए कोटा भरने के लिए निरंतर प्रयास किए गए।

7.0 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी:

आपकी कंपनी सभी स्तरों पर एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता देती है। सभी इकाइयों में शाप

परिषदों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं। वर्ष के दौरान, शाप परिषदों की 17 बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, कर्मचारी

परिवार सहायता योजना, कल्याण कोष योजना, कर्मचारी सहकारी ऋण समिति आदि के न्यासी मंडल में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

8.0 मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण:

आपकी कंपनी, अपने सभी कार्यों में मानव संसाधन के महत्व को महसूस करते हुए, विभिन्न प्रशिक्षण मॉडयूल के माध्यम से मानव संसाधन को विकसित करने के प्रयास जारी रखती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न गंभीर बाधाओं के कारण, बाहरी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, लेकिन कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम/वेबिनार में भाग लेने के लिए नामित किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान 30 अधिकारियों ने ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

9.0 सुरक्षा:

आपकी कंपनी खानों और मिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए खनन उद्योग में नए उपकरण और प्रक्रियाओं को लागू करके एक संरचित आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा पर बहुत जोर देती है। शून्य दुर्घटना संभावित को प्राप्त करने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रचलित सुरक्षा मानकों की समय-समय पर समीक्षा की गई। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कंपनी में अपने कर्मचारियों के बीच घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए। इनमें वर्क फ्रॉम होम, काम के घंटे कम करना, कार्य स्थलों की नियमित सफाई, व्यक्तिगत सुरक्षा गैजेट पहनना सभी कार्य स्थलों पर अनिवार्य कर दिया गया था।

कॉरपोरेट स्तर पर मिलों और खानों के संचालन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रमुख सुरक्षा निर्णय लिए जाते हैं। यूसीआईएल की सभी इकाइयों में स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाली स्वास्थ्य भौतिकी इकाइयां परिसर के भीतर और बाहर रेडियोलॉजिकल सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी नियामक आवश्यकताओं की समीक्षा कॉर्पोरेट स्तर की सुरक्षा समिति द्वारा की जाती है। कंपनी की विभिन्न सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने में मदद करती है। एपेक्स सुरक्षा समिति नियमित रूप से बैठक करती है और कंपनी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करती है। वर्ष 2020-21 घातक दुर्घटना से मुक्त रहा।

10.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

पहले की तरह, आपकी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों में समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में लगातार काम करने का प्रयास करती है।

सीएसआर पहलों को मूल्यों के अनुसार क्रियान्वित किया गया है। हितधारक के हितों की रक्षा, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करना।

यूसीआईएल की सीएसआर गतिविधियां कंपनी के संचालन के क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित हैं।

शिक्षा - सरकार के निर्देशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आसपास के गांवों के वंचित छात्रों को अपने परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन करके शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। इन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति के साथ-साथ आरटीई नियमों के तहत निर्धारित वर्दी, जूते, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि प्रदान किए गए। आपकी कंपनी ने आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले स्थानीय समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति, नोटबुक और स्कूल बैग प्रदान करती है।

पेयजल की व्यवस्था- आपकी कंपनी ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए बागजाता, तुरामडीह, बंदुहुरंग और मोहुलडीह माइंस के आसपास के गांवों में जलमीनार का निर्माण किया है। सभी इकाइयों के आसपास के गांवों में मौजूदा नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एएमसी और पानी के टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठेका दिया गया।

कौशल विकास - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में आपकी कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल कोचिंग से आसपास के गांवों के वंचित और महत्वाकांक्षी युवा लाभान्वित होते रहते हैं। तुरामडीह में अपने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, फिटर और वेल्डिंग में तकनीकी कौशल दिया जा रहा है।

स्वच्छता- कोविड -19 महामारी के कारण खदानों के साथ-साथ टाउनशिप के आसपास के क्षेत्रों को समय-समय पर साफ करने और साफ रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया गया।

तुम्मालपल्ले खान के आसपास के गांवों में शौचालयों का निर्माण किया गया था और जादूगोड़ा में निर्मित सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव के लिए एएमसी को अनुबंध दिया गया।

विकास परियोजनाओं - आपकी कंपनी द्वारा कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं जैसे जहेरस्थान (पूजा का स्थान), घाटशिला, जादूगोड़ा और मोहुलडीह गांव में दहन घाट शुरू की गई। नरवापहाड़ और तुम्मलापल्ले खदान के आसपास के गांवों में भी सोलर लाइट निष्पादित की गई। वित्तीय वर्ष के दौरान तुम्मलापल्ले खान के आसपास के क्षेत्र में पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण भी किया गया।

कोविड के दौरान सामाजिक समर्थन 19:- यूसीआईएल की परिचालन इकाइयों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय के कठिनाई को दूर करने के लिए, यूसीआईएल ने निम्नलिखित गतिविधियों से सामाजिक समर्थन दियाय

(i) खाद्य पदार्थों का वितरण

रोजगार और मजदूरी/वेतन की कमी के कारण भोजन की कमी को कम करने के लिए स्थानीय समुदाय में चावल, दाल आदि जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया।

(ii) फेस मास्क और सैनिटाइजर/साबुन का वितरण

वायरस को तेजी से फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर फेस मास्क और सैनिटाइजर/साबुन स्थानीय समुदाय, दुकान मालिकों को वितरित किया गया।

(iii) सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूकता

लिखित और मौखिक संचार यानी बैनर और स्पीकर घोषणा के माध्यम से जागरूकता अभियान समय-समय पर यूसीआईएल की टाउनशिप और आसपास रहने वाली आबादी को सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया गया।

(iv) रोजगार को बढ़ावा देना

इस विपदा में रोजगार के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए आसपास के गांवों से स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान की गई और समय-समय पर कपड़े से बने फेस मास्क की आपूर्ति करने के लिए कहा गया। इसके परिणामस्वरूप इन महिलाओं के लिए आय उत्पन्न हुई।

(v) क्वारंटाइन सेंटर का संचालन

स्थानीय प्रशासन द्वारा एक संगरोध केंद्र भी स्थापित किया गया था, जो मूल रूप से स्थानीय आबादी की सेवा करता था, जिन्हें COVID-19 सकारात्मक बताया गया और क्वारंटाइन करने की आवश्यकता थी। क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए मरीजों के लिए भोजन की आपूर्ति करके यूसीआईएल ने स्थानीय प्रशासन का सहयोग किया।

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

संकट की इस अवधि में, स्थानीय आबादी के दिन-प्रतिदिन के स्वास्थ्य मुद्दों को यूसीआईएल अस्पताल द्वारा पूरा किया जा रहा है और आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर एम्बुलेंस सेवाओं की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

(vii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम

कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में केंद्रीकृत मॉड्यूलर गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) के उन्नयन में 50 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया।

पीएम केयर्स फंड में 70 लाख रुपये का योगदान दिया गया और मुख्यमंत्री कोष, झारखंड सरकार और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में प्रत्येक को 10 लाख रुपये का योगदान भी दिया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक खातों का नोट 27-सी) के दौरान कुल सीएसआर व्यय 746.65 लाख रुपये है।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक डॉ. डी.के. सिन्हा, निदेशक एएमडी की अध्यक्षता में सीएसआर समिति का गठन किया है। 31.03.2021 को सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

1. **डॉ. डी.के. सिन्हा,** निदेशक एएमडी : अध्यक्ष
2. **श्री देबाशीष घोष,** निदेशक (वित्त) यूसीआईएल : सदस्य
3. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल : सदस्य

11.0 कॉरपोरेट गवर्नेंस:

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट अनुबंध-II में दी गई है।

12.0 सार्वजनिक जमा:

आपकी कंपनी जनता से ''जमा'' स्वीकार नहीं करती है।

13.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण:

आपकी कंपनी सतत विकास के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना रखती है। सभी इकाइयों में बीएआरसी की स्वास्थ्य भौतिकी इकाइयों ने अपने सभी परिचालन और आसपास के क्षेत्रों

की आवधिक रेडियोलॉजिकल और पर्यावरण निगरानी करती हैं। बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन सांद्रता, निलंबित कण पदार्थ, हवा में लंबे समय तक रहने वाली अल्फा गतिविधि की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सतह और भूजल में रेडियो-न्यूक्लाइड की सांद्रता, मिट्टी और खाद्य पदार्थों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। पर्यावरण निगरानी और सभी इकाइयों के वैधानिक अनुपालन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यावरण इंजीनियरिंग सेल है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को सभी इकाइयों में मनाया जाता है।

14.0 आईएसओ प्रमाणनः

आपकी कंपनी एक आईएसओ 9001:2008, आईएसओ-14001:20 15 और आईएस 18001:2007 प्रमाणित संगठन है, जो मानक के बेंचमार्किंग के लिए अपनी सभी इकाइयों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

15.0 लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई)

आपकी कंपनी समाज के विकास में लघु और मध्यम स्तर उद्योगों की भूमिका को पहचानती है। 2020-21 के दौरान एसएमई को दिए गए ऑर्डर लगभग 69.47 करोड़ रुपये थे।

16.0 विदेश यात्रा

वर्ष 2020-21 के दौरान विदेश यात्रा पर खर्च पिछले वर्ष के 15.89 लाख रुपये की तुलना में शून्य लाख रुपये था।

17.0 विज्ञापन और प्रचार

वर्ष के दौरान, विज्ञापन और प्रचार पर खर्च पिछले वर्ष के 126.80 लाख रुपये की तुलना में 316.04 लाख रुपये था। यह खर्च ज्यादातर नई नियुक्तियों, टेंडर नोटिस आदि के संबंध में विज्ञापनों पर था। आपकी कंपनी विज्ञापन और प्रचार के लिए अपनी वेबसाइट उपयोग कर रही है।

18.0 हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की नीति के अनुरूप वर्ष 2020-21 में सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए निरंतर प्रयास किये गये। उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के लिए यूसीआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की गईं। कर्मचारियों और अधिकारियों ने वर्ष 2021 में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। कंपनी की सभी इकाइयों में ''हिंदी कार्यशाला'' का आयोजन किया गया।

19.0 लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स कदमवाला एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (एसपी0276), शॉप नंबर 115, पहली मंजिल, ब्लॉक ए, क्रिस्टल आर्केड, राजीव नगर, लोधी पारा चौक के पास, रायपुर-492007 को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

20 लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कॉस्ट ऑडिटर के रूप में मेसर्स आरवीएमके एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जमशेदपुर, झारखंड को नियुक्त किया गया। जैसा कि कंपनी लागत लेखा रिकॉर्ड (खनन और धातुकर्म) नियम 2001 के तहत निर्धारित है, लागत लेखांकन रिकॉर्ड कंपनी द्वारा अनुरक्षित है।

21.0 सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में कंपनी के सतर्कता विंग में विभिन्न इकाइयों में कार्यरत 12 सतर्कता अधिकारी शामिल हैं। आपकी कंपनी की सुव्यवस्थित सतर्कता विंग ने वर्ष 2020-21 के दौरान सभी इकाइयों में निम्नलिखित तरीकों से उच्च स्तर की निवारक सतर्कता बनाए रखाः

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से समय-समय पर प्राप्त सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया गया।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अधिक भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर अपलोड की गई।
- सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सभी खरीद और सेवाओं के लिए ई-खरीद प्रणाली को अपनाया गया है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग को समय-समय पर रिपोर्टधविवरण प्रस्तुत की गई।
- जैसा कि सीवीसी दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है, सत्यनिष्ठा संधि और धोखाधड़ी निवारण नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया गया और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष के दौरान सीवीसी पोर्टल में दर्ज सभी शिकायतों का उचित रूप से सत्यापित कर बंद किया गया।

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल को रिपोर्ट करने के निर्देश से श्री यू.के.केडिया, आईटीएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मेकॉन लिमिटेड को यूसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- यूसीआईएल में 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27/10/2020 से 02/11/2020 तक आयोजित की गई और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को समय पर प्रस्तुत की गई।

22.0 निदेशकों की नियुक्तिः

निदेशकों का नाम	(नियुक्ति)
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल	15.06.2021

31.08.2021 को यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में डॉ. सी.के.असनानी का कार्यकाल पूरा होने के बाद, पऊवि ने पत्र सं. -10/5(/2)/2020-पीएसयू/7503 ने डॉ. सी.के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल को उन्हीं नियमों और शर्तों पर 01.09.2021 से 29.02.2024 तक (अर्थात डॉ. आसनानी की सेवानिवृत्ति की तिथि) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यकाल के विस्तार के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराया।

निदेशकों की समाप्तिः

श्री प्रणेश एस.आर., निदेशक (तकनीकी)	30.11.2020

निदेशकों द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना श्री प्रणेश एस आर निदेशक (तकनीकी) यूसीआईएल करना चाहते हैं।

23.0 आउटलुक

आपकी कंपनी ने घरेलू स्रोतों से यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है जिसके लिए कई नई जमाओं पर गतिविधियां शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए, परियोजनाओं को अवधारणा से कमीशन चरणों तक लागू करने के लिए मेसर्स मेकॉन लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम) के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मेकॉन ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए टीईएफआर/डीपीईआर तैयार किया है, जिनमें से रोहिल और तुम्मालपल्ले मिल विस्तार उन्नत चरण में हैं। सभी मौजूदा परिचालनों से टिकाऊ उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए, विभिन्न बाधाओं को दूर करने वाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक ही समय पर, आपकी कंपनी ने यूरेनियम संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए वैश्विक अवसरों में उद्यम करने की योजना बनाई है। इस दिशा में, यूसीआईएल ने बाजार मूल्यांकन, रणनीतिक साझेदार के चयन और विदेशों में यूरेनियम संपत्तियों के एमएंडए में सहायता करने के लिए पहले ही एक सलाहकार (लेन-देन सलाहकार) को नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी पेयजल, सोलर लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, शौचालय और सभी इकाइयों में महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करके आसपास के क्षेत्रों में ढांचागत और सामाजिक-आर्थिक विकास लाकर स्थानीय लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों को सुसज्जित किया जा रहा हैय मेधावी छात्रों को किताबें, अध्ययन सामग्री और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। झारखंड में एईसी स्कूलों में स्थानीय समुदाय के बच्चों को आरटीई अधिनियम के अनुसार मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। आपकी कंपनी नए लक्षित क्षेत्रों में समान सुविधाएं प्रदान करने की आशा कर रही है जहां खदान और प्रक्रिया संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तुम्मलापल्ले, गोगी, रोहिल, झारखंड आदि में स्थानीय लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

24.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक कहते हैं:

1) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और साथ ही सामग्री प्रस्थान के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया।

2) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में उस अवधि के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दी जा सके।

3) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

4) आपके निदेशकों ने वार्षिक खाते ''गोइंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए हैं।

5) आपके निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

25.0 पावती

आपकी कंपनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ईंधन परिसर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एनपीसीआईएल, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य मंत्रालयों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली, बैंकर और अन्य सभी एजेंसियां से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करती है जो आपकी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। आपकी कंपनी बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थन, मार्गदर्शन और योगदान का भी आभार व्यक्त करती है। कंपनी के कर्मचारियों को उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करती है। कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ द्वारा दिया गया सहयोग कृतज्ञ है। आपकी कंपनी यूसीआईएल के पड़ोस में रहने वाले समुदाय द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठन और समुदाय के प्रमुख नागरिकों का भी आभार व्यक्त करती है।

निदेशक मंडल के लिए

(डॉ. सी.के. असनानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई
दिनांकः 28 सितंबर 2021

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी के साथ-साथ ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट, नियम- 8 में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ पढ़ें।

ए. ऊर्जा का संरक्षण:

क) ऊर्जा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए:

i) सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना

ii) पारंपरिक लाइटों की जगह एलईडी लाइटों की स्थापना

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

i) सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

ii) ऊर्जा कुशल मोटर्स का उपयोग

iii) वितरण प्रणाली में कैपेसिटर पैनल की स्थापना

iv) लाइटिंग फीडरों के लिए एनर्जी सेवर पैनल्स की स्थापना

ग) (क) और (ख) पर उपायों का प्रभाव

उपरोक्त उपाय के कारण कुल ऊर्जा की बचत हुई: 5,65,142 KWH

विदेशी मुद्रा अर्जित और प्रयुक्त:

आपकी कंपनी किसी निर्यात व्यवसाय में व्यस्त नहीं है। तथापि, वर्ष के दौरान सीआईएफ आधार पर पुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए प्रयुक्त विदेशी मुद्रा रु. शून्य (पिछले वर्ष रु.151.48 लाख) है।

फार्म-बी

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र:

विशेष क्षेत्र जहां आर एंड डी गतिविधियों को किया गया था:

1. बंदुहुरंग और मोहुलडीह खान अयस्क के नमूनों पर लीचिंग परीक्षण किया गया।
2. तुरामडीह मिल फीड सैंपल को बैरेन एल्यूट सैंपल (फाइनल प्रोडक्ट थिकनर ओवरफ्लो) के साथ लीचिंग किया गया।
3. जादूगोड़ा मिल के हाई रेट थिकनर ओवरफ्लो में अवशिष्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कमी के लिए अध्ययन किए गए।
4. अयस्क के आटोक्लेव लीचिंग में ऑक्सीडेंट के रूप में हवा का उपयोग करने के लिए सीआर एंड डी तुम्मलापल्ले में परीक्षण किए गए।

उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ :

1. बंदुहुरंग और मोहुलडीह खदानों के अयस्क नमूनों पर लीचिंग अध्ययन खनन और साथ ही यूरेनियम अयस्क की मिलिंग का समर्थन करने के लिए है। यह खानों में प्रभावी ग्रेड नियंत्रण के लिए एक दिशानिर्देश है।
2. इन प्रयोगों की सहायता से न्यूट्रल बेल्ट फिल्टर केक के री-पल्पिंग के लिए बैरेन एल्यूट की उपयुक्तता का अध्ययन किया गया। न्यूट्रल बेल्ट फिल्टर केक के री-पल्पिंग के लिए बंजर एल्यूट के पुनः उपयोग से संयंत्र में बैरेन एल्यूट लिकर युक्त यूरेनियम के प्रभावी पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।
3. एचआरटी ओवरफ्लो में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लगभग 95: निष्कासन को 50°-60°C पर ओवरफ्लो को गर्म करके सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। इसके कारण, राल पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हानिकारक प्रभाव काफी कम हो गया।

भविष्य की कार्य योजना :

1) बंदुहुरंग और मोहुलडीह खानों के अयस्क नमूनों के लिए अयस्क ग्रेड के आकलन के साथ-साथ अयस्क की लीचबिलिटी के लिए डेटा उत्पन्न करने के लिए लीचिंग अध्ययन जारी रहेगा।

2) इस प्रकार का निक्षालन प्रयोग भविष्य में भी जारी रहेगा।

3) बंदुहुरंग अयस्क के लीचिंग की योजना लीचिंग दक्षता और अभिकर्मक खपत के अनुकूलन के लिए बनाई गई है।

4) तुम्मालपल्ले अयस्क के आटोक्लेव लीचिंग में ऑक्सीजन के विकल्प के रूप में वायु और हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयोजन का पता लगाया जा सकता है।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

1) पूंजी	शून्य
2) राजस्व	976.88 लाख
कुल	976.88 लाख

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार :

1) सिंहभूम और तुम्मलापल्ले संचालन के अवरोधन के तहत प्रौद्योगिकी अनुकूलन के लिए संक्षिप्त विवरण - ''जादुगोड़ा मिल में मिश्रित लीच्ड घोल को संभालने के लिए सिस्टम संशोधन''

जादूगोड़ा मिल केवल जादूगोड़ा अयस्क का उपयोग करके शुरू से ही रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर के साथ संचालन में थी। अन्य खदानों के अयस्क को भी समय के साथ क्षमता में वृद्धि के साथ जादूगोड़ा मिल में संसाधित किया जाता है। अयस्क मिश्रण में परिवर्तन ने क्षमता और ड्रम दक्षता को प्रभावित किया है। सभी ड्रम फिल्टर को एक के बाद एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर (एचबीएफ) से बदलने से बेहतर फिल्टरेशन प्राप्त होगा। हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर (एचबीएफ) के साथ क्रमिक रूप से सभी ड्रम फिल्टर के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप बेहतर निस्पंदन दक्षता, संचालन और रखरखाव में आसानी के साथ-साथ उच्च क्षमता थ्रूपुट भी होगा।

2) लाभ :

- बेहतर निस्पंदन दक्षता।
- संचालन और रखरखाव में आसानी।
- उच्च क्षमता थ्रूपुट।

3) वर्ष 2020-21 के दौरान हासिल किए गए प्रमुख मील के पत्थर और फिसलन का कारण, यदि कोई हो।

- पैकेज 1 के तहत मुख्य संयंत्र भवन का सिविल एवं संरचनात्मक कार्य 30-09-2020 को पूर्ण कर लिया गया।
- 28-11-2020 को नए भवन के ईओटी क्रेनों का निर्माण और चालू करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- मुख्य तकनीकी पैकेज 2 के तहत हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर-3 नंबर की आपूर्ति पूरी कर ली गई, उपकरणों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के कार्य की भौतिक प्रगतिः 80%।

कोविड-19 महामारी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। परियोजना 31.01.2022 तक पूरी हो जाएगी।

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-II

निगम संचालन

आपकी कंपनी अपने संचालन के सभी पहलुओं में अधिकतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता प्राप्त करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन का अभ्यास करने में विश्वास करती है और इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखती है।

निदेशक मंडल :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की पूरी चुकता पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें 3 शेयर नामांकित व्यक्ति के पास हैं।

बोर्ड में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन है। बोर्ड दस निदेशकों से बना है जिसमें (i) तीन पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) और (ii) सात अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। बोर्ड नियमित अंतराल पर मिलते है और कंपनी के उचित निर्देशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 26.06.2020, 17.08.2020, 28.08.2020, 11.11.2020 और 03.03.2021 को निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार है;

नाम और पद 31.03.2021 तक	वर्ग	बोर्ड बैठक		11.11.2020 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया		
कार्यकारी निदेशक					
डॉ. सी.के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यात्मक	05	05	हां	-
श्री देबाशीष घोष निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक	05	05	हां	-
श्री प्रणेश एस आर निदेशक (तकनीकी)	कार्यात्मक	04	04	हां	-
गैर - कार्यकारी निदेशक					
श्री सुखदेव सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव झारखंड सरकार	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	05	-	-	-
श्री ए.आर. सुले, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	05	05	हां	-
श्री संजय कुमार संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), पऊवि	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	05	05	हां	-
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	04	02	हां	-
डॉ. डी.के. सिन्हा निदेशक, एएमडी	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	02	02	हां	-

यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 31.08.2019 को पूरा हो गया। आज की तारीख में यूसीआईएल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है। जहां तक अंशकालिक निदेशकों का संबंध है, सरकारी अधिकारी या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी द्वारा आयोजित बैठकों के लिए बैठक शुल्क के पात्र नहीं हैं। प्रत्येक बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों को 10,000/- रुपये की दर से बैठक शुल्क का भुगतान और एक आकस्मिक व्यय प्रतिपूर्ति / रु.1,000/- प्रति दिन केवल अधिकतम 2 दिनों के लिए किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति:

यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक बोर्ड ने श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन और अधिनियम), डीएई की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 17.08.2020, 31.10.2020 और 25.02.2021 को आयोजित की गईं।

31.03.2021 को लेखापरीक्षा समिति इस प्रकार थी:

1) श्री संजय कुमार, जेएसएए, पऊवि : अध्यक्ष
2) डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई, एनएफसी : सदस्य
3) निदेशक तकनीकी, यूसीआईएल : सदस्य

कंपनी सचिव, यूसीआईएल ने उक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड के निर्देशानुसार, यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई एनएफसी, डीएई की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

31.03.2021 को पारिश्रमिक समिति इस प्रकार थी:

1) डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी- अध्यक्ष
2) श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल
3) निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

कंपनी सचिव, यूसीआईएल ने उक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

आचार संहिता :

बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू एक आचार संहिता है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित सत्यनिष्ठा समझौते के साथ-साथ धोखाधड़ी निवारण नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सामान्य निकाय बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकें/असाधारण आम बैठकें नीचे दी गई हैं :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2019-20 (एजीएम)	11.11.2020	15.15 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
2018-19 (एजीएम)	14.09.2019	12.30 बजे	रांची
2017-18 (एजीएम)	19.09.2018	12.30 बजे	मुंबई

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सारांश

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआइएन	(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
ii	पंजीकरण की तिथि	04/10/1967
iii	कंपनी का नाम	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	"पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण"	पीओ : जादूगोड़ा खान जिला : सिंहभूम पूर्वी झारखंड : 832 102 दूरभाष : 0657-2730122/ /222/353 फैक्स : 0657-2730322 ई-मेल : cs@uraniumcorp-in विजिट करें : www-uraniumcorp-in
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाना है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल % व्यवसाय
1	U3O8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं प्रसंस्करण	लागू नहीं	100

कंपनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।

शेयरधारण का विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर	:	20946175
सरकारी नामितों द्वारा धारित शेयर	:	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मल्यू रु.1000/- प्रत्येक)	:	20946178

ऋणग्रस्तता

	रू. लाख में	
	31.03.2021	31.03.2020
सुरक्षित ऋण (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट)		
असुरक्षित ऋण :		
एसबीआई, जादूगोड़ा से लघु अवधि की नकद साख (सीसी)	शून्य	शून्य
एनपीसीआईएल से ऋण	शून्य	शून्य
कुल रु.	शून्य	शून्य

धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

दोनों स्वतंत्र निदेशकों यानी श्री आर.बी. चक्रवर्ती और डॉ. के. उमामहेश्वर राव की नियुक्तियों का कार्यकाल 31.08.2019 को पूरा हो गया। आज तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

धारा 134 (1) के तहत बोर्ड एवं निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है इसलिए निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक आदि का निर्धारण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक बोर्ड और निदेशकों के प्रदर्शन के साथ-साथ निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक सहित नीति निर्धारण, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं आदि के लिए मानदडं नहीं दिया गया है क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के लिए प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

i. डॉ. सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii. श्री देबाशीष घोष, निदेशक वित्त
iii. श्री प्रणेश एस. आर, निदेशक तकनीकी (30.11.2020 तक)
iv. श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) (15.06.2021 अपराह्न से)
v. श्री बी. सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर कार्मिकों का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्यस्थाल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

संबंधित पक्षों (पार्टी) के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 में शन्यू है। इसलिए, कंपनी (नियम) नियम 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत यथा आवश्यक फॉर्म एओसी-2 बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है। वार्षिक लेखा की टिप्पणी 32 के तहत सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण का उल्लेख किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल यह स्वीकार करता है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम निहित है और कंपनी की वर्तमान एवं भावी सफलता के लिए जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिमों की देखरेख करने, महत्वपूर्ण कारोबारी जोखिमों के प्रबंधन एवं कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में मदद करती है।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक - I

प्रमुख आंकड़े

रु. लाख में

	विवरण	2020-21	2019-20	2019-20 की तुलना में वृद्धि / (कमी)	2019-20 की तुलना में वृद्धि / (कमी) % के रूप में
क.	**परिचालन परिणाम**				
	कारोबार	230353.12	238656.97	(8,303.85)	(3.48)
	सकल आय	235290.24	241959.58	(6,669.34)	(2.76)
	सकल व्यय	172969.51	182276.20	(9,306.69)	(5.11)
	सकल लाभ	62320.73	59683.38	2,637.35	4.42
	कर के बाद शुद्ध लाभ	47073.97	49996.28	(2,922.31)	(5.85)
ख	**वर्ष अंत में वित्तीय स्थिति**				
	शेयर पंजी	209461.78	206961.78	2,500.00	1.21
	अन्य इक्विटी	146263.3	115656.90	30,606.40	26.46
	नियोजित पूंजी	379309.85	347899.74	31,410.11	9.03
	कुल मल्यू (नेटवर्थ)	355725.08	322618.68	33,106.40	10.26
	सकल ब्लॉक	297587.46	281909.97	15,677.49	5.56
	मूल्यह्रास	114037.64	91339.02	22,698.62	24.85
	शुद्ध ब्लॉक	183549.82	190570.95	(7,021.13)	(3.68)
	मालसूची (इन्वेंटरी)	21414.95	23214.41	(1,799.46)	(7.75)
ग.	**लाभप्रदता एवं अन्य अनुपात**				
	(i) प्रतिशत :				
	बिक्री में सकल लाभ / (हानि)	27.05%	25.01%		
	बिक्री में शुद्ध लाभ / (हानि)	20.44%	20.95%		
	कुल मूल्य में सकल लाभ / (हानि)	17.52%	18.50%		
	कुल मूल्य में शुद्ध लाभ / (हानि)	13.23%	15.50%		
	नियोजित पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	16.43%	17.16%		
	नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ / (हानि)	12.41%	14.37%		
	इक्विटी पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	29.75%	28.84%		
	बिक्री के लिए मालसूची	9.30%	9.73%		
	इक्विटी पूंजी में बिक्री	60.73%	68.60%		
	(ii) अनुपातः				
	वर्तमान परिसंपत्तियां एवं वर्तमान देयताएं	2.86:1	2.26:1		
	त्वरित सं पत्ति एवं वर्तमान देनदारियां	2.61:1	2.02:1		

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी का वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2021 और 2020 को तलुन-पत्र सारांश

अनुलग्नक - II

(रू लाख में)

क्रम	विवरण	2020-21	2019-20	2019-2020 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1.	कंपनी का स्वामित्य			
	क. अचल परिसंपति			
	सकल ब्लॉक	**2,84,803.77**	2,69,126.28	15,677.49
	घटाया : संचित मूल्यह्रास	**1,03,757.13**	83,448.66	20,308.47
	नेट ब्लॉक	**1,81,046.64**	1,85,677.62	(4,630.98)
	अपूर्त परिसम्पत्तियाँ	**2,503.18**	4,893.33	(2,390.15)
	अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय एवं गैर वित्तीय) गैर मौजूदा संपत्तियों सहित	**8,973.34**	8,326.32	647.02
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य / स्टॉक	**23,145.41**	2,7023.39	(3,877.98)
	उप - योग (क)	**2,15,668.57**	**2,25,920.66**	**(10,252.09)**
	ख. चालू परिसम्पति			
	(i) सम्पति सूची	**21,414.95**	23,214.41	(1,799.46)
	(ii) प्राप्ति योग्य व्यापार	**1,48,886.13**	1,55,502.26	(6,616.13)
	(iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	**3,255.22**	3,284.49	(29.27)
	(iv) नकद और बैंक अधिशोष	**69,806.52**	32,258.95	37,547.57
	(v) अन्य चालू सम्पतियाँ	**8,490.30**	4,177.17	4,313.13
	उप - योग (ख)	**2,51,853.12**	**2,18,437.28**	**33,415.84**
	कुल {1 (क+ख)}	**4,67,521.69**	**4,44,357.94**	**23,163.75**
2.	**कम्पनी का स्वामित्व**			
	क. गौर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं, चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए	**1,02,088.53**	1,10,261.70	(8,173.17)
	ख. कम्पनी की शुद्ध मालियत			
	इक्विटी शेयर पूंजी	**2,09,461.78**	2,06,961.78	2,500.00
	अन्य इक्विटी	**1,46,263.30**	1,15,656.90	30,606.40
	उप - योग (ख)	**3,55,725.08**	**3,22,618.68**	**33,106.40**
ग.	आस्थागित कर दायित्व (ग)	**9,708.08**	**11,477.56**	**(1,769.48)**
	कुल {2 (क+ख+ग)}	**4,67,521.69**	**4,44,357.94**	**23,163.75**

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी की आय और व्यय का विवरण

अनुलग्नक - III

31 मार्च, 2021 और 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा का सारांश

(रु. लाख में)

	विवरण	2020-21	2019-20	2019-20 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1.	**कंपनी की आय**			
	क) परमाण ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अधिग्रहण से	2,29,949.78	2,38,453.77	(8,503.99)
	ख) गौण उत्पादों की बिक्री से (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	403.34	203.20	200.14
	ग) अन्य प्राप्तियां	4,937.12	3,302.61	1,634.51
	उप - योग	**2,35,290.24**	**2,41,959.58**	**(6,669.34)**
	घ) अंतिम स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	(2,144.17)	878.01	(3,022.18)
	कुल (1)	**2,33,146.07**	**2,42,837.59**	**(9691.52)**
2.	**कंपनी द्वारा भुगतान और व्यवस्था**			
	क) खपत की गई सामग्री की लागत	15,377.82	18,174.08	(2,796.26)
	ख) कर्मचारी लाभ व्यय	54,059.07	54,070.04	(10.97)
	ग) वित्तीय लागत (ब्याज व्यय)	68.07	1059.80	(991.73)
	घ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22694.73	25723.45	(3,028.72)
	ङ) अन्य व्यय	78625.65	84126.84	(5,501.19)
	कुल (2)	**1,70,825.34**	**1,83,154.21**	**(12,328.87)**
3.	**कंपनी का सकल लाभ समायोजन के पहले (1 - 2)**	**62,320.73**	**59,683.38**	**2,637.35**
	घटाया : आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	15,246.76	9,687.1	5,559.66
4.	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ**	**47,073.97**	**49,996.28**	**(2,922.31)**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	1,074.43	(3,372.32)	4,446.75
5.	**वर्ष के लिए व्यापक आय**	**48,148.40**	**46,623.96**	**1,524.44**

आय का वर्गीकरण

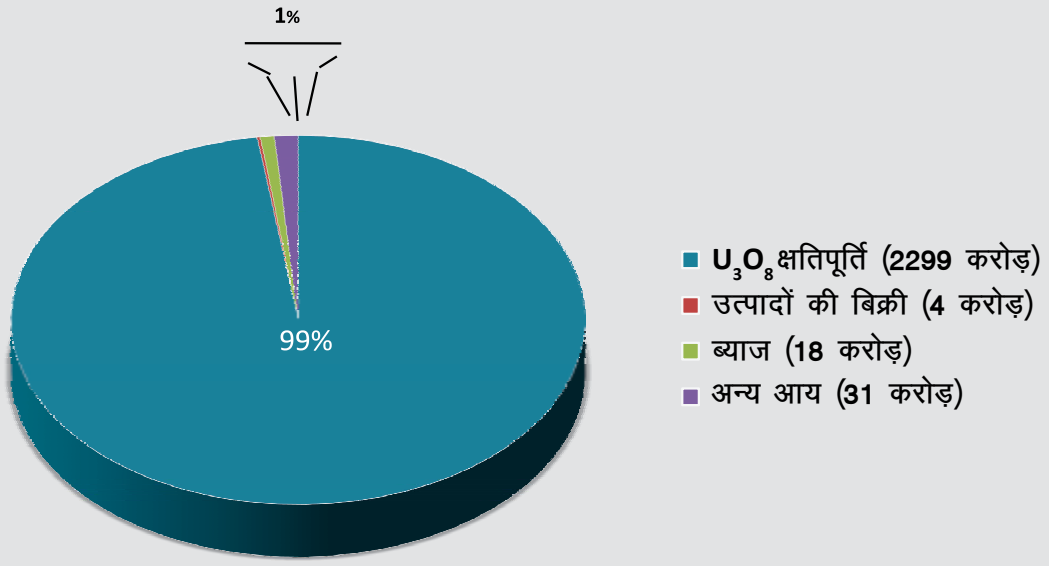

व्यय/परिव्यय का वितरण

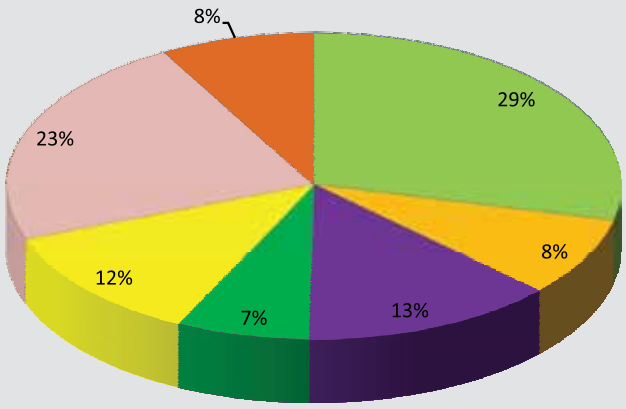

- कमचारियों का भुगतान (541 करोड़)
- मरम्मत एवं अनुरक्षण (154 करोड़)
- कच्चा माल, स्टोर और स्पेयर्स (251 करोड़)
- ऊर्जा (132 करोड़)
- ह्रास (227 करोड़)
- अन्य व्यावसायिक व्यय (425 करोड़)
- कर (आस्थगित कर सहित) (152 करोड़)

आय में वृद्धि

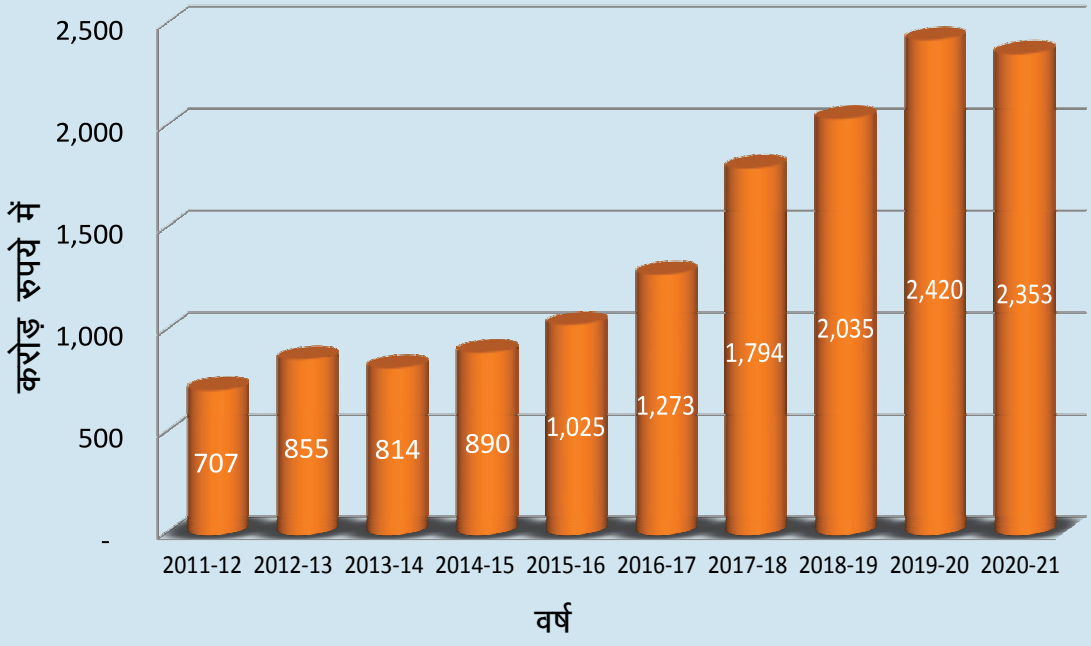

निवल संपत्ति में वृद्धि

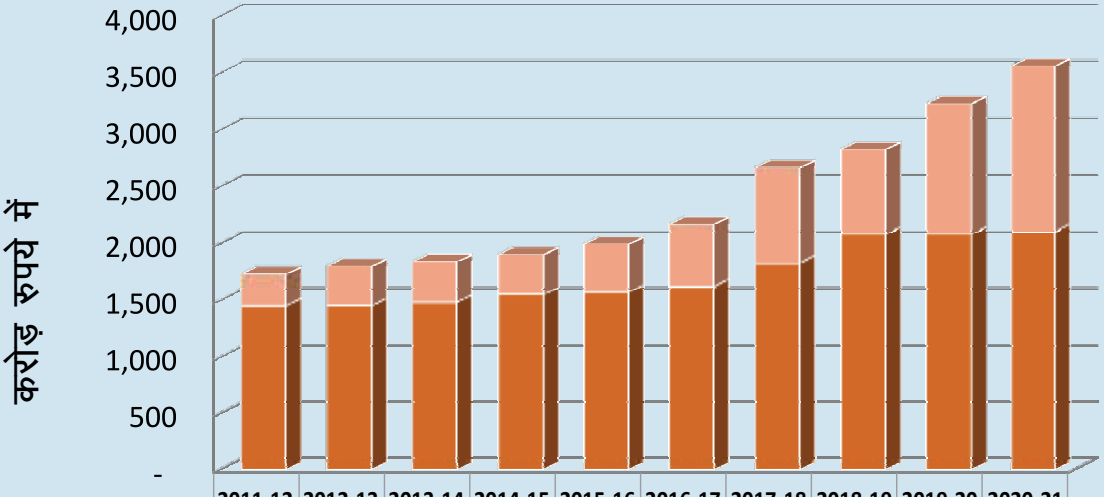

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरक्षित एवं अधिशेष	287	357	365	361	426	550	848	753	1157	1463
इक्विटी	1,440	1,440	1,470	1,540	1,565	1,616	1,816	2,070	2,070	2,095

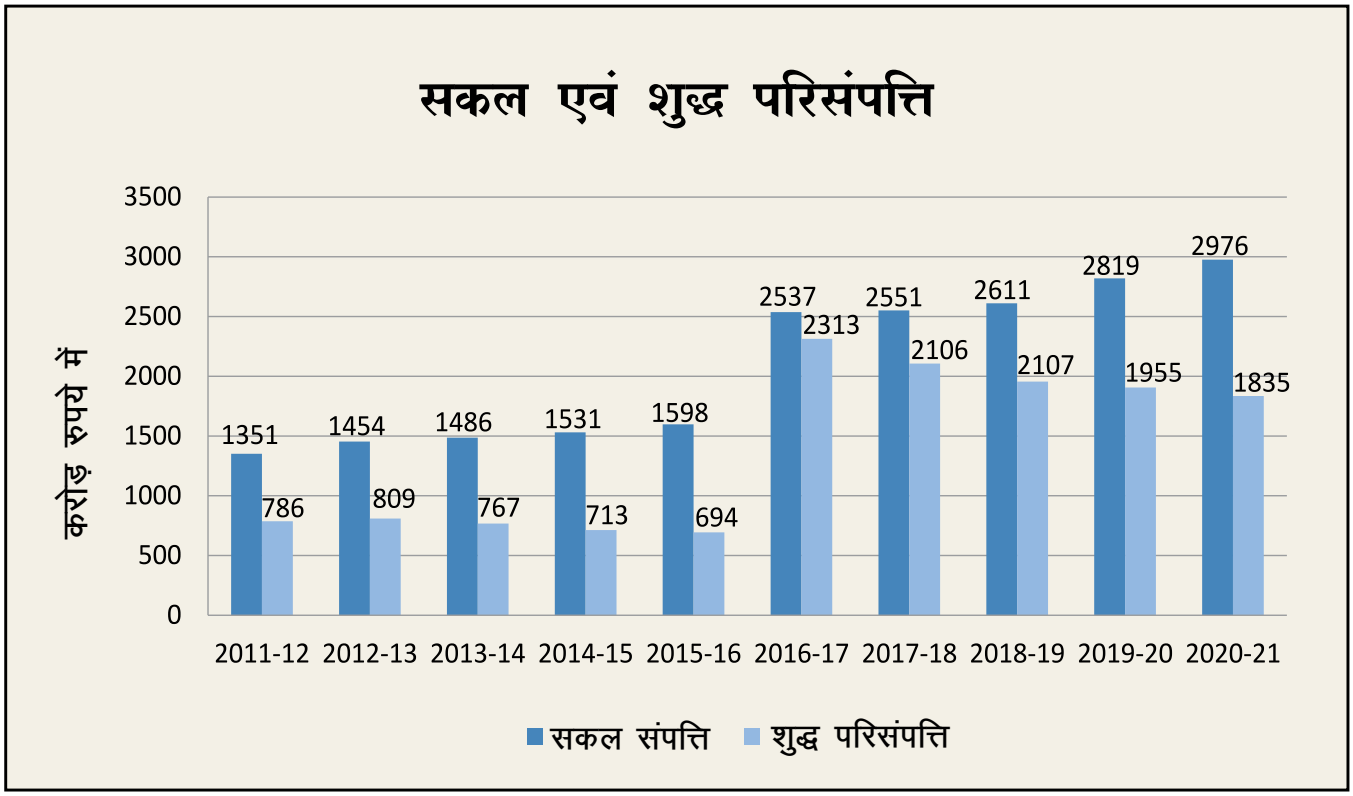
सकल एवं शुद्ध परिसंपत्ति
करोड़ रुपये में
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1351
786
1454
809
1486
767
1531
713
1598
694
2537
2313
2551
2106
2611
2107
2819
1955
2976
1835
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
सकल संपत्ति
शुद्ध परिसंपत्ति

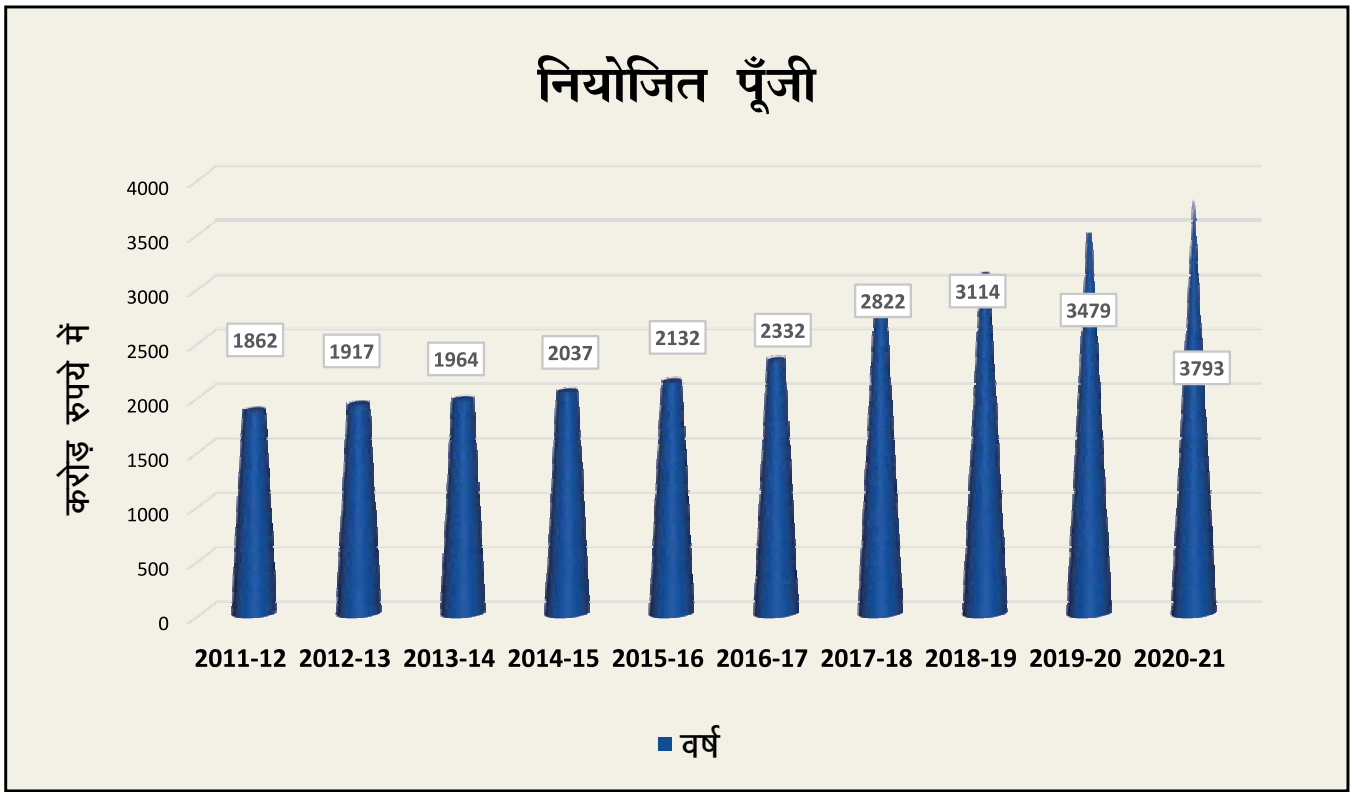
नियोजित पूँजी
करोड़ रुपये में
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1862
1917
1964
2037
2132
2332
2822
3114
3479
3793
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
वर्ष

जादुगोड़ा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूसिल द्वारा आपातकालीन वार्ड का उद्घाटन

स्वंतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इडिया लिमिटेड

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर ऑडिट रिपोर्ट

राय

हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है, जिसमे 31 मार्च 2021 का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह और वित्तीय लेखे पर के नोट, साथ में महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

हमारी राय एवं बेहतर सूचनाओं तथा हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर पर्वोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवशयक वांक्षित सूचनाएं देता है और 31 मार्च 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के मामलों की स्थिति सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के साथ सत्य एवं स्पष्ट दृश्य अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ और वर्षांत तक के लिए इसका नकद प्रवाह को दर्शाता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएएस) के मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी की तरफ से स्वतंत्र हैं और इन्स्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अचार संहिता तथा साथ में कंपनी अधिनियम 2013 के अतर्गत तथा इसके अतर्गत नियमों के अनुसार वित्तीय विवरण का लेखा परिक्षण करते हैं, और हमने उस अचार संहिता की आवश्यकता के अनूरूप दायित्व का निर्वाहन किया है। हमें यकीन है कि जो साक्ष्य हमें मिला है वह हमारे राय के आधार के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण सही एवं पर्याप्त है।

मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सिमित किये निम्नलिखित मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं:

1) दो कार्यों से कुल लागत के बागजाता माइंस के सम्बन्ध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य से सम्बंधित लेखे की टिपण्णी 4 में कार्य-I डिजाइनिंग सिंकिंग लाइनिंग कार्य संयंत्र 375 मीटर गहरी, 5 मीटर डायमीटर वर्टिकल शाफ्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रुपये तथा कार्य-II "यूसिल में उपलब्ध पुराने 560T वाइन्डर और हेड फ्रेम को जिसमें डिजाइन, इरेक्शन और 100.00 लाख की कुल विंडर सिस्टम की कमीशनिंग शामिल है, जो 2159.22 लाख रुपये का कुल मूल्य बन रही है, को कुल 4221.39 लाख की राशि में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तिथि 31.12.2014 को इसे पूरा करने में असफल रहा। कंपनी ने 247.61 लाख की जो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) बैंक गारंटी के रूप में लिया था जिसकी अवधि 14.01.2015 को समाप्त हो गई। लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रूपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार किया जायेगा। कंपनी ने कानूनी प्रक्रिया आरम्भ की है और मामला 3 वर्ष की समयावधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थता की स्थिति में है।

2) मोहुलडीह खान में चल रहे पूंजीगत कार्य के संबंध में लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियों के नोट संख्या 35.13 में कहा गया है कि 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और मोहुलडीह खान में इसके उपकरण लगाने का कार्य 18.63 करोड़ रुपये की कुल लागत से मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को प्रदान किया गया। चूंकि, ठेकेदार ने काम पूरा किए बिना ही साइट छोड़ दी, कंपनी उत्पादन के नुकसान के लिए और जोखिम और लागत के लिए 102.42 करोड़ रुपये की वसूली के मध्यस्थता के लिए दावा किया है।

3) वर्ष 2018-19 - 2019-20 के लिए प्रयोज्य दर पर यूरेनियम सांद्र की राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिपण्णी संख्या 21 इद्ध परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना है। हालाँकि, वर्ष 2020-21-के लिए यूरेनियम सांद्र के मुआवजे की लंबित अंतिम दर को परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई है, परिचालन से राजस्व का निर्धारण करने के लिए वर्ष लिए लागू दर पर विचार किया जाना है। अंतर, यदि कोई हो, की गणना दर को अंतिम रूप देने के वर्ष में की जाएगी।

4) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियों की नोट संख्या 35.2 से सम्बंधित,तुम्मलपल्ले में 813.412 हेक्टेयर भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ भूमि, बंदुहुरंग में 686.86 एकड़ भूमि,

बागजाता में 303.14 एकड़ भूमि, जादूगोड़ा में 1312.62 एकड़ भूमि भटिन सहित, 288.20 एकड़ भूमि मोहुलडीह एवं 8.62 हेक्टेयर भूमि गोगी परियोजना में खनन पट्टे प्राप्त किया जाना है।

झारखंड सरकार द्वारा 27.01.2013 से नरवापहाड़ 1128. 32 एकड़ के लिए खनन पट्टा जो पिछले वर्ष तक लंबित था, पूर्वव्यापी रूप से प्रदान किया गया है।

5) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 सम्बंधित राज्य सरकारधनिजी पार्टी से अधिग्रहित 1517.59 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रूपया है का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

6) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 कंपनी मुसाबनी, झारखण्ड में 1986 से 3 एकड़ जमीन का उपभोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा उठाय गए डिमांड नोट का भुगतान कर दिया गया है और झारखण्ड सरकार के साथ पट्टा हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।

7) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान त्योहार से संबंधित भत्तों के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उनके उत्क्रमण से संबंधित खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के नोट संख्या 35.10, लेकिन इस तरह के उलटफेर को पूर्व आय के रूप में नहीं माना जाता है और चालू वर्ष में पूर्व अवधि की मदों के लिए कंपनी की लेखा नीति में परिवर्तन के कारण वर्तमान अवधि की आय के रूप में बुक किया गया।

8) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नरवापहाड़ खदान, जहां खनन पट्टा विलेख वित्तीय वर्ष 2019-20 में पहले ही निष्पादित किया गया था, के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1.65 करोड़ रुपये के पूर्व भुगतान से संबंधित खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के नोट संख्या 35.11, जब इसे लाभ और हानि खाते के लिए प्रभारित किया गया, लेकिन अंत में चालू वित्तीय वर्ष में लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया और चालू वर्ष में पूर्व अवधि की मदों के लिए कंपनी की परिवर्तन लेखा नीति के कारण चालू वर्ष व्यय के रूप में माना जाता है।

9) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियों के नोट संख्या 35.15 में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में आस्थगित कर देयता 14,694.66 लाख रुपये के बजाय 16,486.11 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया। इसलिए कंपनी ने अपने लाभ और हानि खाते और वित्त वर्ष 2019-20 के बैलेंस शीट को सही आस्थगित कर देयता को प्रभावी करने के लिए स्थापित किया।

10) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियों के नोट संख्या 35.16 में कहा गया है कि 'पूर्व अवधि समायोजन' से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव 1359.20 लाख रुपये है और 'यात्रा छूट लाभ' और अन्य से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव शून्य है।

11) नोट संख्या 31.17 लेखा पर अतिरिक्त नोट, जो लॉक-डाउन के कारण प्रबंधन के वित्तीय प्रभाव के आकलन की व्याख्या करता है और COVID-19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य प्रतिबंधों और शर्तों, जिसके लिए प्रबंधन को कंपनी में दीर्घकालिक जोखिम के लिए कोई माध्यम नहीं दिखता है और कंपनी की क्षमता से अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए सक्षम है।

वित्तीय विवरण एवं लेखा परिक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। वार्षिक रिपोर्ट में अन्य जानकारी शामिल है लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं है। लेखा परिक्षण रिपोर्ट के उपरांत बोर्ड रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए जो हमारी राय है उसमे अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसके लिए हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

दूसरी जानकारी को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसा करते हुए, विचार करना कि अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं ।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य की जानकारी देने के लिए हमें इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिससे कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही एवं साफ तस्वीर पेश करती है तथा वित्तीय निष्पादन अन्य व्यापक आय सहित एवं कंपनी का नकद प्रवाह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार है जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत लेखांकन सिद्धांत भी

शामिल हैं। इस दायित्व में पर्याप्त लेखांकन आँकड़े अधिनियम के अनुसार हैं जो कंपनी की निधि की सुरक्षा तथा अन्य अनियमितताओं को प्रकट करने के लिए तथा सही लेखांकन नीति का चुनाव करने के लिए तथा सही एवं सटीक अनुमान तथा निर्णय के लिए तथा वित्तीय विवरण की तयारी एवं अनुपालन के लिए जो की भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तयारी एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में दर्शाये गए आँकड़े सही एवं स्पस्ट छवि पेश करें जो किसी भी प्रकार की महत्तवपूर्ण त्रुटि से परे हो चाहे गलती से या गबन से हो।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की तयारी में प्रबंधन का दायित्व है की वह कंपनी की दक्षता का आकलन कर इसे चालू संस्था के आधार पर तथा चालू संस्था के लेखांकन के आधार पर करे, जब तक कि निदेशक मण्डल की मंशा कंपनी का समापन या बंद करने का नहीं है तथा ऐसे किसी विकल्प के लिए नहीं है।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAS के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा, जब यह मौजूद रहे। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम भी:

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत वि वरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करन के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाजी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर, गलत बयानी, या आतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय विवरण के संदर्भ में और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से सम्बंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण सदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि वित्तीय विवरणों में इस तरह के खुलासे या, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओ या स्थितियों से कंपनी को क्र"इता का विषय बना रह सकता है।
- खुलासे सहित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, सरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अतर्निहित लेनदेन और घटनाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्तवपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ आतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्तवपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

- हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओ के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय से संबंधित जहां लागू हो।
- हम नैतिक आवश्यकताओ के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओ के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओ पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्र वाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।
2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, कंपनियों के अधिनियम 143, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम देते हैं 'अनुलग्नक II' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक लागू होता है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओ और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण अन्य व्यापक आय सहित और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) के नियमों, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ा जाता है।

ड.) कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते, धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं हैं। तदनुसार, धारा 143 के खंड 3 (जी) और 3 (र) के संबंध में कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी ने लंबित मुकदमों और उसकी भारतीय लेखा मानक के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D 1068

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.07.2021

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - I

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

निर्देश	उत्तर
क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी के पास ओएलएफएएस लेखा पैकेज है और सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन विधिवत रूप से लेखांकन पैकेज में दर्ज किए जाते हैं और फिर सिस्टम से वाउचर उत्पन्न होते हैं और सहायक भौतिक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाते हैं। लेखा परीक्षा नमूना जांच पर आधारित थी और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया जिसमें आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ लेखा की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ा हो।
कृपया रिपोर्ट करें कि क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो रहा है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/लिखावट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	विचाराधीन वर्ष के लिए, कंपनी ने न तो कोई नया ऋण लिया है और न ही कोई ऋण बकाया है। इसलिए वर्ष के लिए यह निर्देश कंपनी पर लागू नहीं है।
क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए।	प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग / उपयोग किया गया था।

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D 1068

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.07.2021

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध -II

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

1) (क) कंपनी पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) का विवरण और स्थिति शामिल है।

(ख) कंपनी की अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) को प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र संव्यावसायिक के माध्यम से तीन साल की अवधि में सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए डिजाइन किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उचित है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय इसके कि संपत्ति के नोट संख्या 35.2 और 35.3 में बताई गई वित्तीय विवरण।

2) (क) जैसा कि हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा स्टोर को छोड़कर इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। इसके अलावा, स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर स्टोरों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सूची के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी इन्वेंट्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रख रही है। सूची रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और खातों की पुस्तकों के भीतर निपटा दी गई थीं।

3) कंपनी ने अधिनियमों की धारा 189 के तहत बनाए रखा रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, उपरोक्त आदेश के खंड3 [(iii) (ए) से (सी), के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4) कंपनी ने न तो कोई ऋण दिया है और न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और न ही कोई निवेश किया है इसलिए धारा 185 और अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

5) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और नियमों के तहत तय किए गए हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3 (अ) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6) कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने व्यापक रूप से एक ही समीक्षा की है, और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हमने यह देखने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही है या पूरी है।

7) (क) कंपनी उचित प्राधिकरणों के साथ आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि मार्च 31, 2021 तक बकाया नहीं थी, जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर, जीएसटी का कोई बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

8) कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंकों को बैलेंस शीट की तारीख तक ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने न तो कोई डिबेंचर जारी किया है और न ही बैलेंस शीट डेट पर सरकार से कोई ऋण या उधार लिया है। हालांकि, कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से लिया 100 करोड़ रुपए के ऋण वित्त वर्ष 2019-20 तक पूरी मूल राशि चुका दिया है, लेकिन ऋण या उधार लेने के बाद से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

9) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) और शर्तों के ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

10) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी परीक्षा के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार किया जाता है, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम न तो कंपनी द्वारा या पर किसी भी तरह की सामग्री धोखाधड़ी के मामले में आए हैं, वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

11) कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12) हमारी राय में कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

13) हमारी राय में कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के साथ संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।

14) वर्ष के दौरान अधिमान्य आवंटन / शेयरों के निजी प्लेसमेंट/पूर्ण/आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया गया, इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

15) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े किसी व्यक्ति के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 21063654 IAAAC D 1068

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.07.2021

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध -III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2021 तक मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी सपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट (''गाइडेंस नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी ऑडिट में इन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के

लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरण ों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के निपटान के समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाए

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की सभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओ के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी द्वारा चार्टर्ड इस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D 1068

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.07.2021

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

DGA(ESD)/EA/34/AA/UCIL /2021-22 /468 Dated

21 SEP 2021

सेवा में,

Chairman & Managing Director
Uranium Corporation of India Limited
PO: Jaduguda Mines,
Singhbhum East,
Jharkhand – 832 102.

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(ब) के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तिय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत UCIL के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तिय खातों पर शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

संजय कुमार झा
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में सनदी लेखपाल संरक्षण के व्यवसायिक संसथान के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है। यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 30.7.2021 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं माहलेखा परिक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत किया गया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रांरभिक पूछताछ एवं कुछ चुने गए कागजातों एवं लेखा रेकॉर्डों के आधार पर किया गया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन (नो) को देखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट अवलोकन के प्रभाव को देने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पेश करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.09.2021

31 मार्च, 2021 तक तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
संपत्ति			
गैर-वर्तमान परिसंपत्ति			
संपत्ति, सयत्र और उपकरण	3	181,046.64	185,677.62
प्रगतिधीन कार्य पूजी	4	23,145.41	27,023.39
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	2,503.18	4,893.33
वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
- ऋण	12	609.98	766.92
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	8,261.49	7,291.95
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		101.87	267.45
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**215,668.57**	225,920.66
वर्तमान संपत्ति			
मालसूची (इन्वेंटरी)	8	21,414.95	23,214.41
वित्तीय परिसंपत्तियां			
- व्यापार प्राप्य	9	148,886.13	155,502.26
- नकद और नकद समतुल्य	10	68,776.63	32,204.78
- नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक शेष राशि	11	1,029.89	54.17
- ऋण	6	3,107.95	2,812.58
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	147.27	471.91
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13	8,490.30	4,177.17
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**251,853.12**	218,437.28
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**467,521.69**	444,357.94
कुल परिसंपत्तियां			
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी	14	209,461.78	206,961.78
इक्विटी शेयर पंजी	15	146,263.30	115,656.90
अन्य इक्विटी		**355,725.08**	322,618.68
कुल इक्विटी			
देयता,			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां	16(c)	897.87	1,860.16
- अन्य वित्तीय देनदारियां	17	12,978ण82	11,943ण34
प्रावधान	19	9,708.08	11,477.56
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		**23,584.77**	25,281.06
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां			
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
- उधार	16(a)	.	.
- व्यापार देय			
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	16(b)	38.19	183.29
उपर्युक्त के अलावा	16(b)	10,087.20	7,311.06
- अन्य वित्तीय देनदारियां	16(c)	60,686.79	66,612.60
प्रावधान	17	374.62	3,774.93
वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	18	11,892.31	12,714.18
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	5,132.73	5,862.14
कुल वर्तमान वर्तमान		**88,211.84**	96,458.20
कुल देनदारियां		**111,796.61**	121,739.26
कुल इक्विटी और देनदारियां		**467,521.69**	444,357.94
महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां	1,2		

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	**बी सी गुप्ता**	**राजेश कुमार**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या: 063654	एईआरपीजी9596सी	डीआईएन: 09217107	डीआईएन: 07252959	डीआईएन 03497356

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.07.2021
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D1068

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
आय			
परिचालन से राजस्व	21	230,353.12	238,656.97
अन्य आय	22	4,937.12	3,302.61
कुल आय		**235,290.24**	241,959.58
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	23(a)	15,377.82	18,174.08
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23(b)	2,144.17	(878.01)
माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क	24	54,059.07	54,070.04
कर्मचारी लाभ व्यय	25	68.07	1,059.80
वित्तीय लागत	26	22,694.73	25,723.45
मूल्य	27	78,625.65	84,126.84
ह्रास और परिशोधन व्यय		**172,969.51**	182,276.20
अन्य व्यय		**62,320.73**	59,683.38
कुल व्यय			
कर से पहले लाभ / (हानि)	28	17,018.33	16,458.33
कर व्यय	28	(1,771.57)	(6,771.23)
(1) वर्तमान कर		**15,246.76**	9,687.10
(2) आस्थगित कर		**47,073.97**	49,996.28
कुल कर व्यय			
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)			
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा शुद्ध		1,076.52	(3,694.14)
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप		(2.09)	321.82
उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर		**1,074.43**	(3,372.32)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		**48,148.40**	46,623.96
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
प्रति शेयर आय			
बेसिक और डाइल्यूट	29	**225.56**	244.67

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 063654

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता	**राजेश कुमार**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एईआरपीजी9596सी	डीआईएन: 09217107	डीआईएन: 07252959	डीआईएन 03497356

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.07.2021
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D1068

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

विवरण	राशि (रु. में)
रुपये के इक्विटी शेयर रु 1,000 प्रत्येक जारी किए गए, सदस्यता लिया और पूरी तरह से भगुतान किया गया	
1 अप्रैल 2019 को	206,961.78
शेयर पूँजी जारी करना	-
31 मार्च 2020 को	206,961.78
शेयर पूँजी जारी करना	2,500.00
31 मार्च 2021 को	209,461.78

ख. अन्य इक्विटी

राशि (रु. में)

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2019	-	14,336.03	60,943.78	75,279.81
वर्ष के लिए लाभ	-	-	49,996.28	49,996.28
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(3,372.32)	(3,372.32)
प्राप्त राशि	1,500.00	-	-	1,500.00
शेयर निर्गमन	-	-	-	.
प्रदत्त लाभांश	-	-	(6,426.00)	(6,426.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(1,320.87)	(1,320.87)
		-	-	-
31 मार्च 2020	**1,500.00**	**14,336.03**	**99,820.87**	**115,656.90**
वर्ष के लिए लाभ	.	-	47,073.97	47,073.97
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	.	-	1,074.43	1,074.43
प्राप्त राशि	1,000.00	-	-	1,000.00
शेयर निर्गमन	(2,500.00)	-	-	(2,500.00)
प्रदत्त लाभांश	-	-	(16,042.00)	(16,042.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 मार्च 2021	-	**14,336.03**	**131,927.27**	**146,263.30**

सामान्य आरक्षित :- आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 063654

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी9596सी

राजेश कुमार
निदेशक(तकनीकी)
डीआईएन: 09217107

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07252959

सी के असनानी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03497356

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30.07.2021
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D1068

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियां

(i) कॉर्पोरेट जानकारी

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) (''कंपनी'') एक सार्वजनिक कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है, कंपनी का गठन 4 अक्टूबर, 1967 को किया गया और भारत में अवस्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे अग्रणी है। दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूराकरते हुए, यूसीआईएल देश की परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बहुत महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक ISO 9001:2015 और 14001:2015 कंपनी है और कंपनी ने अपनी खदानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अपनायी हैं।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतिया

2.1 तैयारी करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS), कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रासंगिक प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य लागू वैधानिक कानूनों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया जाता है।

2.2 माप का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मामलों को छोड़कर व्यवसाय की निरंतरता की अवधारणा और उपार्जन/वृद्धि आधार तथा ऐतिहासिक लागत की परंपरा के तहत तैयार किए गए है:

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मामलों को छोड़कर व्यवसाय की निरंतरता की अवधारणा और उपार्जन/वृद्धि आधार तथा ऐतिहासिक

क) मेडिकल स्टोर, खेल सामग्रियाँ तथा कैंटीन एवं अतिथि गृह के लिए प्रावधान नकद आधार पर किया जाता है अर्थात उन्हें खरीद के समय व्यय में शामिल किया जाता है,

ख) परिभाषित लाभ योजना - उचित मूल्य पर मापी गयी योजना परिसंपत्ति और

ग) उचित मूल्य पर मापे गये खदान बंदी दायित्व ।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किय गए अनुमानों एवं निर्णयों का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य मान्यताओं तथा कारकों (भविष्य की घटनाओं की संभावनाओ सहित) पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों के तहत उचित समझती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात/प्रकट होते हैं ।

उक्त अनुमान वैसे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान थीं, या उस तिथि के बाद घटित हुई लेकिन रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं।

2.4 कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा अंतरण

क. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों (रु) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की मुख्य मुद्रा है, जिसमें कंपनी काम करती है, और इसे 'लाख रुपये' में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है, यदि अन्यथा घोषित न किया गया हो।

ख. लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को लाग विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अत में बकाया विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का अतरण रिपोर्टिंग अवधि के अत में लागू विनिमय दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक सामग्रियों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, शुरूआती

मान्यता के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में अवतरण करने की दर से भिन्न दर पर, अंतरित करने की वजह से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, और पूँजीगत परसंपत्ति के मामले में उत्पन्न होने वाले अंतर को अचल परिसंपत्तियों/पूँजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2.5 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जब वे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र, अर्थात बारह महीने, के भीतर देय होती हैं, वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टे की भूमि को ऐतिहासिक लागत पर अग्रेनीत किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वैस व्यय शामिल होते हैं जिनका संबंध भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और सम्बंधित विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च की गयी मुआवजा राशि इत्यादि।

नई खदान की स्थापना पर होने वाले व्यय को नयी खदान के ऐस निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से हुई आमदनी को घटाने के बाद पूँजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित संपत्तियों के साथ पूँजीगत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को ऐतिहासिक लागत घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। परियोजनाओं से सम्बंधित पूर्व-परिचालनात्मक व्यय, वैसे खर्च जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्वतःनिर्माण से सम्बंधित हैं, और एरेक्शन/इस्टॉलेशन पर किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों को उनके असली उद्देश्य के अनुसार काम करने की स्थिति में लाने पर हुए अन्य संबंधित खर्च को लागत में शामिल किया जाता है।

कंपनी द्वारा, उत्पादन, वस्तुओं की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुचँने के लिए आवश्यक कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण /विकास पर किये गये पूजीगत व्यय को, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षमकारी परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब भी किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्तवपूर्ण हिस्सों की उपयोगी आयु अलग-अलग होती है, तब उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पृथक सामग्रियों (अवयवों) के रूप में लेखांकित किया जाता है। दैनिक सर्विसिंग पर आनेवाली लागत, जिसे मरम्मत और रखरखाव के रूप में वर्णित किया जाता है, को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में उसे खर्च किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पहले से ही पूँजीकृत मद पर होन वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा मद के संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इस भविष्य अपेक्षी रूप से अवमूल्यित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या उस सेवा से हटाये जाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इन्श्योरेंस स्पेयर्स, जिनका इस्तेमाल केवल संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं उनके उपयोग के किसी मद के सिलसिले में ही किया जा सकता है और जिनका उपयोग अनियमित रहने की सभावना होती है, को पूँजीकृत किया जाता है। आपातोपयोगी उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे उत्पादन या माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति में इस्तेमाल के लिए रखे गये हों और यदि उन्हें एक से अधिक अवधियों के दौरान इस्तेमाल किये जाने की उम्मीद होय अन्यथा ऐसी संपत्तियां माल-सूची (इन्वेंट्री) रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

2.7 पट्टे

एक पट्टेदार के रूप में ऐसे पट्टे को, जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन पट्टों में स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों के एक महत्तवपूर्ण हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उन्हें संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को उसकी

प्रारंभ तिथि को ही वित्त पट्टा या संचालित पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी लीज की शुरुआत की तारीख (यानी, इस्तेमाल के लिए अंतर्निहित एसेस्ट उपलब्ध है) की राइट-ऑफ-यूज एसेस्ट को पहचानती है। राइट-ऑफ-यूज एसेस्ट को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। राइट-ऑफ-यूज एसेस्ट्स की लागत में लीज की देनदारियों की मान्यता, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं, और आरंभ तिथि से पहले या लीज पेमेंट से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को कम किया गया है। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियां मूल्यह्रास की जाती हैं।

2.8 अवमूल्यन

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण से संबंधित अवमूल्यन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा विधि से, या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी अनुमानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी अनुमान पर अवमूल्यन प्रदान किया गया है वे नीचे उल्लिखित हैंय

- सड़क, पुल और पुलिया (कल्वर्टस) : 30 वर्ष
- शाफ्ट और डिक्लाइन : 21 वर्ष
- विद्युतीय प्रतिस्थापन : 15 वर्ष
- संयंत्र और मशीनरी (मिल) (ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर) : 8.5-9.5 वर्ष
- आवासीय भवन तुरामडीह : 45 वर्ष
- कंसर्टीना तार की बाड़ : 15 वर्ष
- चेन लिंक बाड़ : 10 वर्ष
- कांटेदार तार की बाड़ : 5 वर्ष

खुली खदान के विकास, ओवरबर्डन को हटाने और खदान के शुरू होने की तारीख तक माइनिंग बेंच को तैयार करने के लिए किये गये व्यय को खदान की पूरी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में टेलिंग डेम (स्लाइम डैम) को ऊँचा करने के काम के पूर्ण किये गये हिस्से को पूँजीकृत किया जाता है और तकनीकी आकलन के अनुसार इस ऊँचाई की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

संवर्धन या विस्तार का ऐसा काम जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

सरकारी भूमि, निजी भूमि, और टेलिंग पोंड्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जानेवाली वन भूमि को टेलिंग पोंड्स की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

पट्टे पर अभिग्रहीत एवं अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी भूमि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में जो सबसे कम हो उतनी अवधि के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, यदि इस बात की पर्याप्त निश्चितता न हो कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

इश्योरेन्स स्पेयर्स को सम्बंधित परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी आयु के दौरान उस दर पर अवमूल्यित किया जाता है जो वर्तमान परिसंपत्तियों पर लागू होती है, और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर इश्योरेंस स्पेयर्स के अधिग्रहण की तारीख तक के अवमूल्यिन राशि को अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज-ऑफ किया जाता है।

परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/हटायी गयी परिसंपत्तियों को समानुपातिक आधार पर, अधिग्रहण/आरंभ होने के लिए महीने का पहला दिन और निपटान के लिए महीने का आखिरी दिन लेते हुए, अवमूल्यित किया जाता है ।

2.9 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

शुरुआती मान्यता में, अमूर्त संपत्तियों को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। शुरुआती मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटाव किसी भी प्रकार का संचित धन एवं संचित क्षति हानि के साथ अग्रेनीत किया जाता।

पहले से ही ही पूँजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर होने वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में निहित संभावित आर्थिक लाभों

को बढ़ाता है और इसे भविष्य अपेक्षी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है), जो भविष्य में महत्तवपूर्ण आर्थिक लाभ दे सकता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

पहचानने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों, जैसे कि भमि के उपयोग का अधिकार, के लिए भुगतान की गयी राशि को चुकायी गयी राशि के उपयुक्त मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और इसे लागत घटाव संचित अवमूल्यन व क्षति मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों (परिमित आयु वाली) को लागत मॉडल के अनुसार एक सीधी रेखा पद्धति के आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर उनके अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

विकास गतिविधियों का मतलब है अनुप्रयोग के निष्कर्ष या व्यावसायिक उत्पादन या इस्तेमाल शुरू होने से पूर्व नयी या काफी हद तक सुधारी गयी सामग्रियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों की किसी योजना या डिजाइन का ज्ञान। लागत को पांच वर्षों के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाएगा ।

2.10 प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में शामिल हैं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय, और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत, जो अब तक अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं है ।

2.11 खदान बंदी, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

डि-कमीशनिंग लागतें अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रदान की जाती है और इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पहचाना जाता है। नकदी प्रवाह को मौजूदा कर-पूर्व दर से डिस्काउंट किया जाता है, जो पैसे के समय-मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। डिस्काउंट के मोचन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू की गयी डिस्काउंड दर में हुए परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के अनुसार खदान बंदी और पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूरा करने की देयता का तकनीकी तौर पर आकलन मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया है ।

2.12 सहायता अनुदान

केन्द्रीय सरकार से पूजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अधिग्रहित संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

2.13 गैर-वित्तीय परिसंपतियों की क्षति

परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी प्रकार की क्षति के संकेत हैं या नहीं। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो उस परिसंपत्ति से प्राप्त की जानेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली जाने वाली राशि से ज्यादा होती है इसे क्षतिकारी हानि माना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य और उपयोग किये जा रहे मूल्य में से जो ज्यादा हो वही होती है। उपयोग किये जा रहे मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है।

वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षतिकारी हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति-हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षतिकारी हानि को घटाकर वहन राशि से ज्यादा तक नहीं लाया जाता है, यह निर्धारित किया गया होगा (परिशोधन या अवमूल्यन का शुद्ध) पूर्व वर्ष में किसी क्षतिकारक हानि को मान्यता नहीं दी गई थी। क्षति के बाद, अवमूल्यन क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसकी शेष बची उपयोगी आयु के दौरान प्रदान किया जाता है।

2.14 वित्तीय प्रपत्र या साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है ।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में नकद और बैंक शेष, ऋण एवं कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और प्रतिभूति जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

बिना नियत परिपक्वता अवधि के प्रतिभूति जमा को उस मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसपर इसे अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त किया जाएगा और यही वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जाती है। वह समयावधि, जिस पर रकम प्राप्त की जाएगी, अनिर्णीत है क्योंकि वह रकम तब प्राप्त होगी जब अनुबंध समाप्त किया जा रहा होगा। डिस्काउंटिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि समयावधि निर्धारण योग्य नहीं होती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता को केवल तभी समाप्त समझा जाता है जब

- कपनी ने वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो, या
- उसने वित्तीय संपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आनुबधिक अधिकारों को बरकरार रखा हो, लेकिन एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए अनुबंध संबधी दायित्व स्वीकार करती हो ।

ख. वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं, किसी अन्य इकाई को नकद या कोई और वित्तीय परिसंपत्ति देने या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का उन इकाइयों के साथ विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं इन्हें अपने लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समयसीमा खत्म हो जाए। किसी वित्तीय दायित्व की आगे ले जानेवाली राशि, जिसे किसी अन्य पक्ष को शमित या स्थानांतरित किया गया हो, एवं भुगतान किये गये मूल्य, जिसमें स्थानांतरित गैर-नकदी परिसंपत्तियाँ एवं स्वीकार की गयी देनदारियाँ शामिल हैं, को लाभ व हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है, यदि वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित करने का साध्य कानूनी अधिकार हो और यदि शुद्ध आधार पर निपटारा करने का इरादा हो, ताकि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का निपटान एक साथ किया जा सके ।

2.15 माल सूचियाँ

क. माल सूचियों की माप

माल-सूचियों के मूल्य को लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो सबसे कम हो उस पर निर्धारित किया जाता है। माल सूचियों की अनुमानित बिक्री कीमत में से पूर्ण करने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होता है ।

ख. लागत फॉर्मूला

1	अयस्क या प्रगतिधीन कार्य	अवशोषण लागत विधि पर
2	प्रत्यक्ष सामान, स्टोर और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	माल जो रास्ते में है और निरीक्षण के अतर्गत है	अधिग्रहण लागत पर
4	गौण उत्पाद	परिवर्तन लागत पर
5	रद्दी माल	अनुमानित लागत पर

ग. स्टोर और पुर्जे

स्पेयर्स पुर्जे और अपातोपयागी (स्टैन्डबाई) उपकरणों को माल सूची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे उत्पादन या माल की आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाते हों। लूज टूल्स को जारी करने के वर्ष में बड्टे खाते में डाल दिया जाता है। कैपिटल स्टोर्स एवं बीमा स्पेयर्स को छोड़कर, पांच साल तक अचलायमान स्टोर्स स्पेयर्स के लिए प्रावधान सृजित किया जाता है। अप्रचलित घोषित सामग्री को आवश्यक निपटान के लिए अलग किया जाता है और उसके बही मूल्य को बट्टे खात में डाला जाता है। निपटान के बाद वसूले गये मूल्य को आय में जमा (क्रेडिट) कर दिया जाता है।

2.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए नकद एवं नदक समतूल्य में नकदी, हाथ में नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल

परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल शामिल है जो अधिग्रहण की तारिख से आसानी से परिवर्तनीय हैं। नकदी की मात्रा और जो मूल्य में एक महत्तवपूर्ण जोखिम परिवर्तन एवं बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन है। बैंक ओवरड्राफ्ट तुलन पत्र में मौजूदा देनदारियों में उधार के तहत दिखाये जाते हैं।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर के योग को निरूपित करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। सिवाय उस स्थिति में जिसमें वह सीधे इक्विटी या अन्य विस्तृत आय से संबंधित हो।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जानेवाली राशियों एवं कर योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल किये गये संबंधित कर आधारों जंग के बीच के अस्थायी अंतर के आधार पर मान्य किया जाता है और इसका लेखांकन तुलन-पत्र देयता विधि से किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों जंग को आम तौर पर सभी घटाने योग्य अस्थायी अतरों, अप्रयुक्त कर हानि जंग एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट जग के लिए मान्य किया जाता है, उस हद तक कि यह संभावना रहे कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो गए जिसके विरुद्ध ऐसे घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को की जाती है और यह इस हद तक घटायी जाती है कि यह संभावना ही न रहे कि पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध हो और उसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

बकाया कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की वसूली होती है और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंश शीट तिथि तक लागू की गयी हों ।

2.18 आय को मान्य करना

कंपनी आय को मान्य तब करती है जब आय की राशि को भरोसेमद रूप से मापा जा सकता हो, यह संभव है कि इकाई को भावी आर्थिक लाभ मिलेगा यानी, जब यूरेनियम सांद्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा। बाई-प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल (एक्साइज ड्यूटी समेत) रिटर्न और भत्तेए ट्रेड छूट और वॉल्यूम रिबेट्स के शुद्ध जोड़ पर मान्य किया जाता है।

2.19 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतए जिसे सीधे तौर पर योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से जोड़ा जा सकता है को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जा सकता है (कोष को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने से हुई शुद्ध आय), तब तक जब तक कि वे परिसंपत्तियाँ अपन इच्छित उद्देश्य से इस्तेमाल को तैयार न हों। योग्य परिसंपत्तियाँ वैसी परिसंपत्तियाँ हैं, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से अच्छा-खासा समय लेती हैं।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जिसमें उन्हें वहन किया गया है।

2.20 कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में मान्य किये जाते हैं जिसमें उनसे संबंधित सेवाऐं प्रदान की जाती हैं।

ख. अवकाश नकदीकरण लाभ

अर्जित अवकाश एवं बीमारी के अवकाश की देयता का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिये जाने की अवधि की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर किये जाने की आशा नहीं की जाती। इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाले वैस

भावी भुगतानों के वर्तमान मान के रूप में मापा जाता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए किये जाएँगे। लाभों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी प्रतिभूतियो, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती है, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन की वजह से की जानेवाली पुनर्माप को अन्य विस्तृत आय में मान्य किया जाता है।

दायित्वों को तुलन-पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद तक निपटान को आस्थगित करने का बेशर्त अधिकार न हो, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद है।

ग. नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

कंपनी निम्नलिखित सेवा-अवधि के बाद की योजनाओं को संचालित करती है :-

I) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नियोजन पश्चात चिकित्सा लाभ

क) ग्रैच्युटी दायित्व

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये जाते हैं।

परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजनाओं के संबंध में तुलन-पत्र में मान्य की गयी देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटाव योजना की संपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी कैश आउटफ्लो को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी बौंड, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती हैं, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड के संदर्भ में डिस्काउंट किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व एवं संपत्तियोंके उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर डिस्काउंट रेट को लागू करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ व हानि विवरण के कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

बीमाकिक मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होती है, वह भी सीधे अन्य विस्तृत आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत ही पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

ख) सेवा अवधि के बाद के चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागत कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान सचित होती है और इसके लिए उसी लेखांकन पद्ध ति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका परिभाषित लाभ योजनाओ के लिए किया जाता है। बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव स उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

ii) परिभाषित अशदान योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ोतरी आधार पर लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सुपरएनुएशन फंड में योगदान कंपनी की नीतियों के मुताबिक किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित होता है और उस वर्ष में लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें योगदान (प्रीमियम) देय होता है।

2.21 अनुसंधान और विकास व्यय

पूजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किये जाते हैं और इन्हें लागू दरों पर अवमूल्यित किया जाता है। रेवेन्यू व्यय को उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वह खर्च किया जाता है।

2.22 पूर्व प्रदत्त व्यय

पूर्वप्रदत्त व्यय को केवल वहीं लेखांकित किया जाता है, जहाँ अव्यतीत अवधि से सम्बंधित राशियाँ प्रत्येक मामले में रु. 50,000 से ज्यादा हों ।

2.23 स्ट्रिपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकाय के विकास पर हुए स्ट्रिपिंग व्यय का पूँजीकरण किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.24 दावारहित देयता

जॉब/अनुबंध पूरा करने के बाद, पाँच वर्षों से ज्यादा अवधि से बकाया दावारहित अनुबंध मुल्य, अग्रिम राशि सुरक्षा जमा कॉशन मनी को समीक्षा के बाद विविध आय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि दावा न किया गया क्रेडिट बैलेंस संविदा मूल्य की वजह से प्रोजेक्ट से संबंधित है, या अब कंपनी की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता, तो उसे पहचानी गयी प्रासंगिक संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। ऐसी मद का विवरण रखा जाएगा। बाद में, रिफंड के मामल में, समीक्षा के बाद रिफंड के वर्ष में, उसे विविध खर्च में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताए

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पूर्वघटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों से संभवतः कंपनी के आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है और राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सकता है। समय या बहिर्वाह की राशि अब भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए जरूरी अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होता है, और जिसमें मौजूदा दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयता

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों को जाहिर किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं के घटित या न घटित होने से पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी भी मौजूदा दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह की शर्तों के अनुसार नहीं मापा जा सकता या जहां दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं तैयार किया जा सकता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है, जो पिछली घटनाओ की वजह से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक ऐसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है। आकस्मिक संपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है बल्कि जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह संभावित होता है, तब उन्हें नोट्स टु द अकाउंट्स में जाहिर किया जाता है। जब एक अतर्प्रवाह लगभग निश्चित होता है, तब एक परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

2.26 शेयर पूंजी

साधारणतया शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.27 प्रति शेयर आय

शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, केवल वैसे मामलों को छोड़कर जो एंटी-डाइल्यूटिव हों।

2.28 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में कारोबार के 0.50: से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

2.29 नकद प्रवाह विवरणी

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है जिससे विगत या भावी नकद प्राप्ति संचालन या भुगतान की भिन्नता या संग्रहण और विनियोजन का वित्तपोषित नकद प्रवाह सहित आय या व्यय की वस्तु की लिए कर पूर्वलाभ गैर नकद प्रकृति की लेनदेन के प्रवाह के लिए समायोजित किया जाता है नकदी प्रवाह संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों में अलग हो जाते है।

2.30 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्व धारणा और निर्णय

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ तय करती है। परिणामस्वरूप लेखा अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर होंगे। अनुमानों और पूर्वधारणाओं, जिनकी वजह से, अगले

एक वित्तीय वर्ष के अंदर, संपत्ति और देनदारियों की वहन राशियों में ठोस समायोजन होने का खासा जोखिम हो, के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

अनुमान और अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस संशोधन होने वाली अवधि में और प्रभावित होने वाली किसी भावी अवधि में मान्य किया जाता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नुकसान

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि संभव है कि संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य न हो, तो कंपनी संभावित हानि के आकलन के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन करती है। एक नुकसान हानि को मान्य किया जाता है, यदि किसी संपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य के उच्चतम मान में बिक्री लागत व उपयोग किये जा रहे मूल्य को घटाने पर मिलने वाली राशि से ज्यादा हो।

परिसंपत्ति को कितना नुकसान हुआ है इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान से जुड़ा होता है। हालांकि, नुकसान की समीक्षा और गणना उन पूर्वधारणाओ पर आधारित होती हैं, जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु कई कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है ।

ग) खदान पुनरुद्धार दायित्व

आकलन केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावित हो कि भविष्य की तारीख में पुनर्वास/पुनर्स्थापना लागत का खर्च उठाना पड़ेगा। किसी दायित्व का अस्तित्व तब होता है, जब पुनर्वास/पुनर्स्थापना करने के सिवाय और कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई पर्यावरण को पहुँचे नुकसान में सुधार करने या पर्यावरण को पुनर्बहाल करने हेतु कानून या रचनात्मक रूप से बाध्य हो।

घ) आयकर

आयकरों के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अच्छी निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। कई ऐसे लेन-देन और गणनाएं हैं, जिनके लिए सामान्य व्यवसाय के दौरान अंतिम रूप से कर का निर्धारण अनिश्चित होता है। कंपनी अनुमानित कर से सम्बंधित मामलों की देयताओं को, अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं इस पर आधारित अनुमान पर मान्य करती है। जहां इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशि से अलग होता है, उनमें ऐसे अंतर का आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों पर उस अवधि में प्रभाव पड़ता है, जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है।

उन कारकों में किसी भी प्रकार का बदलाव आयकर और स्थगित कर प्रावधानों को उस अवधि में प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है ।

31 मार्च 2021 समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पनियाँ

3. सपंत्ति, सयंत्रं और उपकरण

(रु. लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे वाली भमि	कारखाने की इमारत	प्रशासनिक ,वं अन्य भवन	सयंत्रं और मशीनरी (स्वामित्व)	विद्युत संस्थापन	खुली खदान	फर्नीचर और स्थावर	उपकरण	वाहन	योग
सकल ब्लॉक											
1 अप्रैल 2019	5,429.94	263.93	33,759.69	8,160.62	171,006.71	20,122.17	8,415.19	330.18	584.46	279.34	248,352.23
परिवर्धन	-	-	831.37	52.61	19,595.69	206.80	.	22.78	36.28	28.51	20,774.05
31 मार्च 2020	5,429.94	263.93	34,591.06	8,213.23	190,602.40	20,328.98	8,415.19	352.96	620.74	307.85	269,126.28
परिवर्धन	5.76	-	359.16	80.29	14,304.72	749.87	.	43.82	70.70	63.17	15,677.49
31 मार्च 2021	5,435.70	263.93	34,950.22	8,293.52	204,907.12	21,078.85	8,415.19	396.78	691.44	371.02	284,803.77
सचिंत मूल्यह्रास और हानि											
1 अप्रैल 2019	30.24	99.60	4,733.64	814.14	45,496.66	5,733.92	2,433.31	182.19	380.33	209.71	60,113.74
वर्ष के लि, मूल्यह्रास प्रभार	13.44	18.62	1,452.89	210.61	19,185.95	1,689.92	608.33	32.43	94.47	30.10	23,336.76
वर्ष के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	1.84	-	-	-	-	1.84
31 मार्च 2020	43.68	118.22	6,186.53	1,024.75	64,682.61	7,422.00	3,041.64	214.62	474.80	239.81	83,448.66
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	13.44	18.62	1,461.13	210.77	16,173.69	1,691.14	608.33	31.63	73.54	26.18	20,308.47
वर्ष के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021	57.12	136.84	7,647.66	1,235.52	80,856.30	9,113.14	3,649.97	246.25	548.34	265.99	103,757.13
शुद्ध बही मूल्य											
31 मार्च 2021	5,378.58	127.09	27,302.56	7,058.00	124,050.82	11,965.71	4,765.22	150.53	143.10	105.03	181,046.64
31 मार्च 2020	5,386.26	145.71	28,404.53	7,188.48	125,919.79	12,906.98	5,373.55	138.34	145.94	68.04	185,677.62

4. प्रगतिधीन कार्य पूंजी (रु. लाख में)

विवरण	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परिचालन इकाई)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (चालू परियोजना)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परियोजना पूर्व व्यय)	स्थापन हेतु लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति	कुल
1 अप्रैल 2019	9,725.72	22,511.41	2,357.29	30.31	34,624.73
परिवर्धन			184.51	231.25	415.76
स्थानांतरण	(2,006.04)	(6,011.06)			(8,017.10)
31 मार्च 2020	7,719.68	16,500.35	2,541.80	261.56	27,023.39
परिवर्धन	375.85	2,174.85	2,238.86	1,099.56	5,889.12
स्थानांतरण	(928.34)	(7,807.42)	-	(1,031.33)	(9,767.09)
31 मार्च 2021	7,167.19	10,867.78	4,780.66	329.78	23,145.41

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है : (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
परिचालन इकाइयाँ:		
क. जादूगोड़ा माइंस एंड मिल	1,448.22	1,303.41
ख. तुरामडीह खदान	145.29	164.62
ग. बागजाता खदान	4,221.39	4,221.39
घ. तुरामडीह मिल	42.20	769.43
च. मोहुलडीह खदान	940.85	827.40
छ. तुम्मलापल्ली माइंस एंड मिल	369.24	425.76
झ. नरवापहाड खदान	-	7.67
	7,167.19	7,719.68
चालू परियोजनाएं :		
क. तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना	4,624.27	4,624.27
ख. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	2,326.59	2,327.32
ग. तुरामडीह पेरोक्साइड संयंत्र परियोजना	-	1,268.49
घ. जादूगोड़ा में चतुर्थ चरण की टेलिंग तालाब परियोजना	-	6,538.20
च. संचालन की डीब२टलनेकिंग	3,916.92	1,742.07
	10,867.78	16,500.35
परियोजना पूर्व व्यय :		
क. लांबापुर परियोजना	920.91	873.38
ख. केपीएम परियोजना	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	238.16	83.40
घ. गोगी परियोजना	460.61	394.01
ङ. रोहिल प्रोजेक्ट	1,663.31	34.22
च. यूरेनियम रिकवरी संयंत्र (मुसाबनी)	148.93	131.49
छ. गाराडीह	27.04	-
ज. कन्नमपल्ले	227.17	-
झ. जजवाल परियोजना	89.77	20.54
	4,780.66	2,541.80
लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति की स्थापना/उपयोग	329.78	261.56
कुल	23,145.41	27,023.39

5. अमूर्त संपत्ति (रु. लाख में)

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वन भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक			
01 अप्रैल 2019	11,524.72	1,258.97	12,783.69
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020	11,524.72	1,258.97	12,783.69
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021	11,524.72	1,258.97	12,783.69
ऋण परिशोधन और क्षति			
01 अप्रैल 2018	5,186.12	313.66	5,499.78
ऋण परिशोधन	2,304.94	85.64	2,390.58
31 मार्च 2019	7,491.06	399.30	7,890.36
ऋण परिशोधन	2,304.94	85.21	2,390.15
31 मार्च 2020	9,796.00	484.51	10,280.51
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2020	1,728.72	774.46	2,503.18
31 मार्च 2019	4,033.66	859.67	4,893.33

वन भूमि के उपयोग का अधिकारः विशिष्ट उपयोग और स्वामित्व के लिए झारखंड सरकार से प्राप्त की गई 437.164 एकड़ (31.03.2020 : 437.164 एकड़) की वन भूमि झारखंड सरकार के पास ही पड़ी है।

6. ऋण (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	496.55	649.03
प्रतिभूति-रहित, जो वसूली योग्य समझे गए हैं		
- कर्मचारियों को अग्रिम	113.43	117.89
	609.98	766.92
वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	142.56	160.31
प्रतिभूति-रहित, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को अग्रिम	585.75	531.36
- कर्मचारियों से अन्य प्राप्तियां	0.64	0.61
- अन्य प्राप्तियां	2,379.00	2,120.30
	3,107.95	2,812.58

7. अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
पूजी अग्रिम (प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए)	101.87	101.87
पूर्वभुगतान	-	165.58
	101.87	267.45

8. मालसूची (इन्वेंटरी)

(रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कच्चा माल		1,636.35	1,475.88
कार्य प्रगति पर		10,139.93	9,693.94
तैयार माल		.	947.38
अयस्क		4,758.49	6,241.75
गौण उत्पाद	9.65		
घटाएं : प्रावधान	3.25	6.40	11.32
रद्दी माल		119.18	273.78
स्टोर और पुर्जे		5,170.00	4,935.28
घटाएं : अप्रचलित स्टोर और पुर्जे के लिए प्रावधान		(493.75)	(497.65)
		4,676.25	4,437.63
स्टोर और पुर्जे - पारगमन में		78.35	132.73
		21,414.95	23,214.41

9. कोराबार प्राप्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कारोबार प्राप्तियां (सुरक्षित युक्त, जिन्हें वसूली योग्य समझा गया)	148,886.13	155,502.26
	148,886.13	155,502.26
- बिल प्राप्त करने वाले व्यापार रु. 110910.65 लाख		
- अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य रु. 37975.48 लाखे		

10. नकद और नकद समतुल्य

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
हाथ में नकदी (अग्रदाय नकदी और स्टांप सहित)	2.84	2.81
बैंकों में जमा शेष:		
- चालू खातों में	66.46	82.36
- तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	68,707.33	32,119.61
	68,776.63	32,204.78

11. नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक जमा शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	1,029.89	-
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ) '	-	54.17
	1,029.89	54.17

'ऋण पत्र के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	858.12	858.12
कर्मचारी से अर्जित ब्याज	682.00	710.58
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	5,810.43	5,223.93
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ)	910.94	499.32
	8,261.49	7,291.95
वर्तमान		
उपार्जित ब्याज		
- बैंकों से	66.36	392.17
- कर्मचारियों से	80.14	78.97
- अन्य से	0.77	0.77
	147.27	471.91

*बैंक गारंटी के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

13. अन्य वर्तमान परसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
पूर्वदत्त व्यय	38.35	174.58
अग्रिम (प्रतिभूति-रहित) :		
- ठेकेदारों, सरकारी विभाग आदि को अग्रिम	7,430.48	3,175.68
- आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
क) वसूली योग्य समझे गए	1,021.47	826.91
ख) संदिग्ध माने गए	2.33	2.33
	1,023.80	829.24
घटाए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.33	2.33
	1,021.47	826.91
	8,490.30	4,177.17

टिप्पणी :

ठेकेदारों, सरकारी विभागों आदि को दिए गए अग्रिम में, विवादित मांग के खिलाफ जिला खनन कार्यालय, झारखंड सरकार के प्रतिवाद के तहत वर्ष 2007-08 में मैग्नेटाइट पर रॉयल्टी के लिए जमा किए गए रु.165.63 लाख शामिल हैं, मामला कानूनी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

14. शेयर पूंजी

क) अधिकृत शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	इक्विटी शेयर	
	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूजी		
1 अप्रैल 2019	350.00	350,000.00
शेयर पूजी में वृद्धि / (कमी)	-	-
31 मार्च 2020	350.00	350,000.00
शेयर पूजी में वृद्धि ध (कमी)	-	-
31 मार्च 2021	350.00	350,000.00

ख) इक्विटी पूंजी निर्गम

(रु. लाख में)

विवरण	संख्या	राशि
I. रु.1000 / - प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 581 / - तक का भुगतान नकद के अलावा में तथा रु. 419 / - प्रत्येक का भुगतान नकद में)		
1 अप्रैल 2020	1.00	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	.	.
31 मार्च 2020	1.00	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	.	.
31 मार्च 2021	1.00	1,000.00
II. रू.1000 / - प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य के रूप में मान्य करने हेतु पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए है		
1 अप्रैल 2019	0.02	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	.	.
31 मार्च 2020	0.02	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	.	.
31 मार्च 2021	0.02	18.53
III. रु.1000 / - प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद पूर्णतः नकद में भुगतान		
1 अप्रैल 2019	205.94	205,943.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	.	.
31 मार्च 2020	205.94	205,943.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	2.50	2,500.00
31 मार्च 2021	208.44	208,443.25
31 मार्च 2021	209.46	209,461.78
31 मार्च 2020	206.96	206,961.78

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रति शेयर 1000 / - का सममूल्य मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है ।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रु.17763.00 लाख (गत वर्ष रु.16042.00 लाख) के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

20946178 शेयर (31.03.2020: 20696178), भारत के राष्ट्रपति 100 % इक्विटी शेयरों के धारक हैं।

15. अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2019	-	14,336.03	60,943.78	75,279.81
वर्ष के लिए लाभ	-	-	49,996.28	49,996.28
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(3ए372.32)	(3,372.32)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	-	-	.	.
शेयर निर्गमन	1,500.00	-	.	1ए500.00
प्रदत्त लाभांश	-	-	(6,426.00)	(6,426.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(1,320.87)	(1,320.87)
31 मार्च 2020	1,500.00	14,336.03	99,820.87	115,656.90
वर्ष के लिए लाभ	-	-	47,073.97	47,073.97
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	1,074.43	1,074.43
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	1,000.00	-	-	1,000.00
शेयर निर्गमन	(2,500.00)	-	-	(2,500.00)
प्रदत्त लाभांश	.	-	(16,042.00)	(16,042.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	.	-	-	-
31 मार्च 2021	.	14,336.03	131,927.27	146,263.30

सामान्य आरक्षितः -

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

16. वित्तीय देनदारियां

(क) वर्तमान उधारियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
प्रतिभूति-रहित		
अन्य संस्था से ऋण	-	-

(ख) व्यापार देय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
विविध लेनदार		
- एमएसएमई	38.19	183.29
- अन्य	10,087.20	7,311.06
कुल	**10,125.39**	7,494.35

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्ष के अंत में बकाया मूल राशि	36.29	181.61
वर्ष के अंत में बकाया ब्याज राशि	1.89	1.68
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई मूल राशि	453.94	41.38
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओ को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि	1.79	0.88
पहले से किए गए भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बकाया और देय ब्याज	0.21 1.68	. 1.68

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण सम्बंधित आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है।

(ग) अन्य वित्तीय देनदारियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
गैर-वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	897.87	1,860.16
	897.87	1,860.16
वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	41,568.75	37,880.90
कर्मचारी और एसीईएस के लिए देयता	7,110.08	13,767.35
सरकारी संस्थाओं के लिए को देयता (देखें टिप्पणी (i) और (ii))	11,600.77	14,222.15
अन्य खर्चों के लिए देयता	407.19	742.20
	60,686.79	66,612.60

टिप्पणी :

(i) वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद तुरामडीह परियोजना की परिसंपत्तियों को रु. 2322.00 लाख की विचार राशि पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खदान के फिर से चालू होने पर परिसंपत्ति वापस ले ली गई है। सीआरपीएफ द्वारा रु. 3467.00 लाख के कुल दावे के मुकाबले रु. 2500.00 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष रु. 967.00 लाख राशि का प्रावधान अंतिम निपटान के लिए लंबित खातों में किए गया है।

(ii) कंपनी बंद तुरामडीह खदान की रु. 1110.60 लाख (31.03.2020: रु. 1110.60 लाख) मूल्य की भूमि एव अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है, जो भारत सरकार से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा संचित मूल्य के आधार पर रू.1110.60 लाख (31.03.2020: रु. 1110.60 लाख) का प्रावधान लेखा में किया गया है।

17. प्रावधान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021		31 मार्च 2020	
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
- ग्रेच्युटी	-	-	-	3,375.22
- अवकाश नकदीकरण	10,110.66	327.79	9,273.67	344.22
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,979.98	40.20	1,849.55	34.09
- छुट्टी यात्रा रियायत	-	-	-	-
	12,090.64	367.99	11,123.22	3,753.53
अन्य के लिए प्रावधान				
- खादान बंदी दायित्व	888.18	-	820.12	-
- सीआईएसएफ बकाया	-	-	-	16.21
- अन्य	-	6.63	-	5.19
	888.18	6.63	820.12	21.40
कुल प्रावधान	12,978.82	374.62	11,943.34	3,774.93

18. वर्तमान कर देयता (शुद्ध)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कराधान के लिए प्रावधान	18,351.81	17,624.70
घटाएं : कराधान के लिए अग्रिम	6,459.50	4,910.52
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / (देनदारियां)	**11,892.31**	12,714.18

19. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	12,934.20	14,694.66
आस्थगित कर परिसंपत्तियों		
पूर्वदत्त व्यय	0.58	2.38
अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान	(124.27)	125.25
अवकाश नकदीकरण के लिए देयता	2,617.83	2,409.94
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	508.44	473.12
खदान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	223.54	206.41
	3,226.12	3,217.10
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**9,708.08**	11,477.56

20. अन्य वर्तमान देयताए

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पणी i और ii देखें)	754.45	754.45
गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त धन (टिप्पणी iii और iv देखें)	983.91	1,176.15
सरकारी संस्थानों के लिए देयता	2.81	1.58
कर्मचारी एवं एसीईएस के लिए देयता	2,092.92	3,440.16
वैधानिक बकाया	1,298.64	489.80
	5,132.73	5,862.14

टिप्पणी :

i. केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथाबा खनन और मिलिंग परियोजना मेघालय में कार्यान्वयन की सुगमता हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार से रु. 4000 लाख (31.03.2020: रु. 4000 लाख) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई। रु. 4000 लाख की कुल राशि में से रु. 3322.03 लाख (31.03.2020: 3322.03 लाख रुपये) की राशि 31.03.2020 तक केएचएडीसी को जारी कर दी गयी थी।

ii. अनुदान सहायता की बाकी राशि में उस पर अर्जित संचयी ब्याज की रु. 76.49 लाख राशि (31.03.2020: रु. 76.49 लाख) शामिल है।

iii. राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। रोहिल में खोजपूर्ण खनन कार्य के लिए एएमडी ने यूसीआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

iv. कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में गोगी परियोजना के लिए खोजपूर्ण खनन द्वारा पूर्वेक्षण संचालन कार्य हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच दिनांक 06.03.2007 को एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसके लिए एएमडी द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

21. परिचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
क) चालू वर्ष के लिए	2,14,987.46	1,95,224.73
ख) पिछले वर्ष के लिए	14,962.32	43,229.04
	2,29,949.78	2,38,453.77
अन्य परिचालन राजस्व		
गौण-उत्पादों की बिक्री	403.34	203.20
	2,30,353.12	2,38,656.97

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए यूरेनियम सांद्रण के लिए मुआवजे की दर को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 और 2019-2020 के लिए यूरेनियम सांद्रण के मुआवजे की अंतिम रूप देने की दर लंबित है, संचालन से राजस्व निर्धारित करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए यूरेनियम सांद्रता के मुआवजे की दर बोर्ड के संकल्प के अनुसार विचार की गई है। कोई अंतर होने पर दर के अंतिम रूप में इसकी गणना की जायेगी। पहले के वर्षों के मुआवजे को ऊपर दिखाया गया है।

22. अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	1,671.58	1,727.33
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	103.40
अन्य पर ब्याज	160.24	78.97
कबाड़ सामग्री की बिक्री	187.49	49.06
उपकरणों और वाहनों का किराया शुल्क	0.84	1.00
आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग संशोधन भाड़ा दंड आदि से संबंधित वसूली	165.65	363.21
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	1.00	1.27
देयताएं और प्रावधान जो अब अनावश्यक हो चुके है	2,289.81	471.00
टाउनशिप रसीद	381.05	469.84
विविध रसीद	79.46	37.53
	4,937.12	3,302.61

23(क). खपत सामग्री की लागत (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कच्चे माल का आरंभिक भंडार	1,475.88	1,598.27
जोड़ें : खरीद	15,538.29	18,051.69
घटाएं : कच्चे माल का अंतिम भंडार	1,636.35	1,475.88
कच्चे माल की खपत	**15,377.82**	18,174.08

23(ख). तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य की सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्ष के आरंभमें मालसूची (इन्वेंटरी)		
- तैयार माल	947.38	.
- अयस्क	6,241.75	7,493.31
- गौण-उत्पाद	14.57	13.60
- प्रगतिधीन कार्य	9,693.94	8ए390.51
- रद्दी माल	273.78	395.99
	17,171.42	16,293.41
कम : वर्ष के अंत में माल सूची		
- तैयार माल	.	947.38
- अयस्क	4,758.49	6,241.75
- गौण-उत्पाद	9.65	14.57
- प्रगतिधीन कार्य	10,139.93	9,693.94
- रद्दी माल	119.18	273.78
	15,027.25	17,171.42
माल सूची में कुल (वृद्धि)/कमी	**2,144.17**	(878.01)

24. कर्मचारी लाभ व्यय (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वेतन मजदूरी और भत्ता	46,322.14	45,235.25
भविष्य निधि में योगदान	4,097.16	4,881.59
ग्रेच्युटी निधि में योगदान	1,029.97	943.90
कल्याण कोष में योगदान	3.13	4.82
सेवानिवृत्ति निधि में योगदान	244.25	282.54
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	213.23	71.08
एलटीसी व्यय	1.17	67.97
कर्मचारी कल्याण व्यय	433.23	522.88
चिकित्सा व्यय	1,714.79	2,060.01
	54,059.07	54,070.04

वेतन और मजदूरी सहित अन्य लाभ रु. 563.38 लाख (2019-20 : रु. 544.72 लाख) पानी की लागत से संबंधित हैं, जिसमें वेतन और मजदूरी और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं।

25. वित्त लागत (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
अन्य संस्था से ऋण पर ब्याज	-	1,000.27
बैंक ब्याज	-	-
खदान बंदी दायित्व के लिए छूट का मोचन	68.07	59.53
	68.07	1,059.80

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (टिप्पणी 3)	20,308.46	23,336.75
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी 5)	2,390.16	2,390.58
घटाएं : परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय	(3.89)	(3.88)
	22,694.73	25,723.45

27. अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
संविदात्मक खान विकास व्यय	4.222.09	4.634.80
तुम्मालपल्ली संविदात्मक खनन व्यय	16.734.16	18.063.24
स्टोर और पुर्जों का उपभोग	9.673.45	9.236.07
बिजली और ईंधन	13.184.33	14.005.07
जल प्रभार	1.204.40	951.68
रॉयल्टी	5.924.31	6.345.92
परिवहन व्यय	726.11	845.23
मरम्मत और रखरखावः (टिप्पणी 'क' देखें)		
- संयंत्र एवं मशीन	11.800.32	14.478.52
- इमारते	2.593.85	1.215.12
- अन्य	1.049.55	1.311.47
माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क	121.33	114.13
अप्रचलित स्टोर प्रावधान	12.86	66.70
दरें और कर	66.75	146.05
सुरक्षा खर्च	7.766.47	6.090.98
बीमा	12.30	46.00
विज्ञापन और बिक्री प्रचार	316.04	126.80
यात्रा और वाहन	104.45	297.12
वाहन किराया शुल्क	938.73	1.153.37
संचार लागत	79.62	77.03
छपाई और लेखन सामग्री	79.44	68.86
परामर्श शुल्क	433.23	1.291.78
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी 'ख' देखें)	5.18	4.06
विधिक और पेशेवर शुल्क	3.84	15.53
सीएसआर व्यय (नोट 'ग' देखें)	746.65	623.66
जीएसटी व्यय	79.18	164.01
टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं का व्यय	221.51	271.14
परियोजनाओं के बंद होने पर नुकसान	.	1.023.59
विविध व्यय	525.50	1.458.91
	78.625.65	**84.126.84**

टिप्पणी :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क) मरम्मत और रखरखाव में शामिल हैं :-		
- स्टोर/भंडारण का उपभोग	2,521.76	10,525.42
- पुर्जों का उपभोग	9,081.35	3,755.17
ख) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
- लेखा परीक्षा शुल्क	3.76	3.19
- कर लेखा परीक्षा	0.83	0.69
- अन्य सेवाओं के लिए	0.59	0.18
	5.18	**4.06**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाली व्यय राशि और वित्तीय विवरण इस प्रकार है :-		
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसारपिछले तीन वित्तीय वर्षों का कुल शुद्ध लाभ	1,11,564.61	72,802.35
शुद्ध लाभ का औसत	37,188.20	24,267.45
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रतिशत	2.00:	2:
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	743.76	485.35
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक व्यय राशि	746.65	623.66
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी परिसपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण - नकद रूप में	61.96	294.30
अभी नकद में भुगतान किया जाना है	59.84	64.41
	121.80	358.71
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा - नकद रूप में	384.03	161.13
- अभी नकद में भुगतान किया जाना है	240.81	103.81
	624.84	264.94
	746.64	623.66

28. आयकर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर कर	17,018.33	16,378.62
पहले के वर्षों से संबंधित कर	-	79.71
	17,018.33	16,458.33
आस्थगित कर		
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	(1,771.57)	(7,615.50)
मैट क्रेडिट (लिया गया)/उपयोग किया गया	-	844.27
कुल आस्थगित आयकर व्यय/(लाभ)	**(1,771.57)**	(6,771.23)
कुल आयकर व्यय	**15,246.76**	9,687.10

आय कर से पहले लाभ पर वैधानिक आयकर दर को लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
भारत में आयकर की अधिनियमित दर	25.17%	25.17%
कर से पूर्वलाभ	62,320.73	59,683.38
भारत में लागू आयकर दर के अनुसार कर से पूर्वलाभ पर वर्तमान कर व्यय	15,684.88	15,021.11
भुगतान के आधार पर अनुमति दिए गए आइटम	(626.54)	(5,570.94)
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य / (कर योग्य) नहीं है	188.42	157.22
पहले के वर्षों से संबंधित कर	-	79.71
कुल आयकर व्यय / (क्रेडिट)	15,246.76	9,687.10

धारा 115बीएए, आयकर अधिनियम 1961, वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए लागू कर की दर 25.17% (2019-20 : 25.17%) है। प्रभावी कर की दर 24.46% (2018-19 : 16.23%) है।

आस्थगित कर (देयता) / परिसंपत्तियों में संचलन

(रु. लाख में)

विवरण	पीपीई	कर्मचारी लाभ	अप्रचलित स्टोर	अन्य वस्तुएं	मैट क्रेडिट	कुल
01 अप्रैल 2019	(22,720.17)	2,886.38	150.59	268.31	844.28	(18,570.61)
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
- लाभ या हानि	8,025.51	(325.15)	(25.34)	(59.52)	(844.28)	6,771.22
- अन्य व्यापक आय		321.82				321.82
31 मार्च 2020	(14,694.66)	2,883.05	125.25	208.79	(0.00)	(11,477.57)
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
- लाभ या हानि	1,760.46	245.29	(249.51)	15.33	-	1ए771.57
- अन्य व्यापक आय	-	(2.09)	-	-	-	(2.09)
31 मार्च 2021	(12,934.20)	3,126.27	(124.27)	224.12	-	(9,708.08)

29. प्रति शेयर आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	47,073.97	49,996.28
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	208.70	204.34
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय (रु.) (प्रति शेयर रु.1000 का अंकित) मूल्य	**225.56**	244.67

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

क) परिभाषित अंशदायी योजना

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	4,097.16	4,881.59
सेनानिवृत्ति निधि में योगदान	**244.25**	282.54

ख) परिभाषित लाभ योजनाए

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021		31 मार्च 2020	
	वर्तमान	गैर वर्तमान	वर्तमान	गैर वर्तमान
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	40.20	1,979.98	34.09	1,849.55
ग्रेच्युटी	-	(2,166.76)	1,231.49	-
अवकाश नकदीकरण	327.79	9,499.09	326.16	8,787.22

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करती है। इन लाभों के लिए पात्रता की शर्त बतौर पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहना और न्यूनतम सेवा अवधि का पूरा करना होता है। इन लाभों की अपेक्षित लागतों को नियोजन की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके उपार्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापित लाभों और हानियों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में उसी अवधि में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	2,020.18	1,883.64
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	.	.
शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	**2,020.18**	1,883.64

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1 अप्रैल को	1,883.64	602.55
वर्तमान सेवा लागत	89.32	25.26
शुद्ध ब्याज	123.91	43.28
	213.23	68.54
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- वित्तीय मान्यताए	.	290.95
- अनुभव समायोजन	(8.30)	987.75
	(8.30)	1,278.70
भुगतान किए गए लाभ	(68.39)	(66.15)
31 मार्च तक	**2,020.18**	1,883.64

ग. लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य की गयी राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्तमान सेवा लागत	89.32	25.26
शुद्ध ब्याज	123.91	43.28
	213.23	68.54
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	213.23	68.54
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन		
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(8.30)	1,278.70
कर से पहले अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध (लाभ)/हानि	(8.30)	1,278.70

घ. मान्यताएं

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट की दर (%)	6.70:	6.70:
पेंशन वृद्धि की दर	6.00:	6.00:

ङ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(333.78)	440.84	1.00:	(319.11)	423.43
चिकित्सा वृद्धि दर	1.00%	429.51	(331.63)	1.00:	412.77	(317.24)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

च. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
2021	-	35.21
2022	41.52	40.84
2023	47.72	47.17
2024	55.09	54.49
2025	63.70	523.37
2026 और इसके बाद	581.57	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है ।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

II. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के लिए देयताएं जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की है उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर पूर्णतः से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन के एक परिणाम के रूप में पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	9,826.88	9,113.38
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	9,826.88	9,113.38

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
01 अप्रैल को	9,113.38	7,458.64
वर्तमान सेवा लागत	1,272.30	1,081.08
शुद्ध ब्याज	551.29	494.05
(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	660.25	1ए995.54
शुद्ध अवकाश नकदीकरण लागत	2,483.84	3,570.67
घटाए: राशि IEDC को हस्तांतरित	11.04	9.53
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	2,472.80	3,561.14
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताएं	-	-
- वित्तीय मान्यताएं	-	-
- अनुभव समायोजन	660.25	1,995.54
(लाभ)/हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	(660.25)	(1,995.54)
अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(1,770.34)	(1,915.93)
31 मार्च तक	**9,826.88**	9,113.38

ग. मान्यताए

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ :

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट की दर (%)	6.70:	6.70:
वेतन वृद्धि दर	5.00:	5.00:

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(854.65)	1,000.62	1.00:	(820.44)	963.30
वेतन वृद्धि दर	1.00%	1,008.04	(875.32)	1.00:	970.44	(840.25)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

ङ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
2021	-	336.91
2022	338.59	595.84
2023	700.96	734.35
2024	982.64	989.17
2025	1,107.60	8,588.26
2026 और उसके बाद	9,175.14	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

कंपनी पेमेटं ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान है। 5 साल की अवधि तक निरंतर सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति/समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारियों द्वारा अंतिम माह में आहरित मूल वेतन के आधार पर आनुपातिक रुप से सेवा के कुल वर्षो की संख्या में 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडों में योगदान करती है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्त पोषित योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	26,695.62	25,593.66
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	28,862.38	24,362.17
शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(2,166.76)	1,231.49

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियों	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियों	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)
1 अप्रैल को	25,593.66	24,362.17	1,231.49	17,428.38	15,332.81	2,095.57
वर्तमान सेवा लागत	1,075.75	.	1,075.75	899.25	-	899.25
ब्याज व्यय/आय	1,658.67	1,689.23	(30.56)	1,281.65	1,283.48	(1.83)
	2,734.42	**1,689.23**	**1,045.19**	**2,180.90**	**1,283.48**	**897.42**
विगत सेवा लागत - योजना में संशोधन	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	.	1,110.67	(1,110.67)	-	681.81	(681.81)
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-			
- जनसांख्यिकीय मान्यताए	-	-	-	-	-	-
- वित्तीय मान्यताएं	-	-	-	-	-	-
- अनुभव समायोजन	42.45	.	42.45	2,636.53	-	2,636.53
	42.45	**1,110.67**	**(1,068.22)**	2,636.53	681.81	1,954.72
भुगतान किए गए लाभ	(1,674.91)	(1,674.91)	-	(1,129.19)	(1,129.19)	.
नियोक्ता का योगदान	-	3,375.22	(3,375.22)	.	4,239.30	(4,239.30)
31 मार्च तक	26,695.62	28,862.38	(2,166.76)	21,116.62	20,408.21	708.41

ग. कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्तमान सेवा लागत	1,075.75	1,014.32
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज	(30.56)	(54.54)
घटाए: राशि IEDC को हस्तांतरित	1,045.19	-
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	1,045.19	959.78
पुन - शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की माप		
बीमांकिक (लाभ)/मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न हानि	(1,068.22)	2,415.44
घटाए : राशि IEDC को हस्तांतरित	3.98	1.44
कर से पहले अन्य व्यापक आय में शुद्ध(लाभ)/हानि को मान्यता दी गई	(1,072.20)	2,414.00

घ. योजना परिसंपत्तियों के निवेश का विवरण

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
i. भारत सरकार की प्रतिभूति	-	-
ii. कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
iii. विशेष जमा योजना	-	-
iv. अन्य (भारतीय जीवन निगम)	100.00:	100.00:
	100.00:	100.00:

ङ. मान्यताए

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट की दर (%)	6.70:	6.70:
वेतन वृद्धि दर	5.00:	5.00:

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

च. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित हैं: (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(1,968.90)	2,258.16	1.00%	(1,960.42)	2,251.46
वेतन वृद्धि दर	1.00%	1,691.79	(1,689.56)	1.00%	1,729.79	(1,737.13)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

छ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्वों के रूप में परिपक्व होगा:

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
2021	-	1,021.00
2022	1,114.94	1,698.01
2023	2,019.24	2,031.09
2024	2,551.84	2,534.12
2025	2,621.59	17,799.89
2026 और उसके बाद	18,531.83	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताए (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. ऋण के रूप में न स्वीकार किया गया दावा		
- झारखंड बिजली बोर्ड द्वारा ईधन अधिभार का दावा	1,855.00	8,613.00
- इसकी कटौती और कर देयता के लिए आयकर	-	-
- जल प्रभाप का दावा	1,967.00	756.84
- अन्य	0.59	0.59
ख. अनपेक्षित शाख-पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट)	-	23.37
ग. पूँजी खाते (अग्रिमों का शुद्ध) पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	4,290.67	10,352.16

विभिन्न अदालतों में सेवा मामलों सहित अन्य मामले लंबित हैं जिनके मुकाबले लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है/आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर वे मात्रात्मक मापम योग्य नहीं है।

32. सम्बंधित पक्ष प्रकटीकरण

(I). संबंधित पक्षों का नाम और संबंध का विवरण :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. पूरे समय के निर्देशक

डॉ. सी के असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त)

श्री प्राणेश एस.आर., निदेशक (तकनीकी) (30.11.2020 तक)

श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) (15.06.2021से प्रभावी)

2. निदेशक, उनके रिश्तेदारों और उद्यम, जिन पर वे महत्तवपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है

श्री सुखदेव सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार (27.05.2020 से प्रभावी)

श्री एस.आर. सुले, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई (20.05.2020 से प्रभावी)

श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन और लेखा), पऊवि (20.05.2020 से प्रभावी)

डॉ. मर्विन एस अलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग (20.05.2019 तक)
डॉ. डी.के. सिन्हा, निदेशक, एएमडी
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी

3. कंपनी सचिव
श्री बी.सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

II. संबंधित पक्ष लेनदेन

पूरे समय के निदेशकों और कंपनी सचिव का मुआवजा (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	215.60	199.79
नियोजन पश्चात लाभ	29.67	26.22

33. उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय प्रपत्र/साधन (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ/(हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन	-	
- व्यापार प्राप्य	1,48,886.13	1,55,502.26
- नकद और बैंक शेष	69,806.53	32,258.95
- ऋण	3,717.92	3,587.45
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8,408.76	7,755.91
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,30,819.34**	1,99,104.57
वित्तीय देयताए		
लाभ/(हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन		
- उधारियां	.	.
- व्यापार देय	10,125.39	7,494.35
- अन्य	61,584.66	68,472.76
कुल वित्तीय देयताए	**71,710.05**	75,967.11

उचित मूल्य पदानुक्रम (रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2021 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां				
- व्यापार प्राप्य			1,48,886.13	1,48,886.13
- नकद और बैंक शेष			69,806.53	69,806.53
- ऋण			3,717.92	3,717.92
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			8,408.76	8,408.76
			2,30,819.34	**2,30,819.34**
देयताएं				
- उधारियां			.	.
- व्यापार देयताए			10,125.39	10,125.39
- अन्य			61,584.66	61,584.66
			71,710.05	**71,710.05**

33. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य पदानुक्रम (रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां				
- व्यापार प्राप्य	-	-	1,55,502.26	1,55,502.26
- नकद और बैंक शेष	-	-	32,258.95	32,258.95
- ऋण	-	-	3,579.50	3,579.50
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	7,763.86	7,763.86
	-	-	**1,99,104.57**	1,99,104.57
देयताए				
- उधारियां	-	-	-	-
- व्यापार देयताए	-	-	10,125.39	10,125.39
- अन्य	-	-	61,584.66	61,584.66
	-	-	**71,710.05**	71,710.05

व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं नकदतुल्यों, व्यापार देय, बैंक जमा उपार्जित ब्याज तथा उस समय की वर्तमान उधारियों की मात्रा उनकी अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है। दिए गए ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्रमाणित इनपुट शामिल किए जाने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियो को तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर किया जाता है।

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला जोखिम	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य व्यापार प्राप्य बैंक जमा	आयुवृद्धि विश्लेषण	जमा क्रेडिट सीमा का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	रोलिंग नकदी प्रवाह पुर्वानमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता

पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी का लक्ष्य अपनी पूंजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है ताकि एक निरंतर कारोबार को जारी रखने की कंपनी की क्षमता और शेयरधारकों के समुचित प्रतिफल (रिटर्न) को सुरक्षित किया जा सके। कंपनी की नीति कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ एक स्थिर और मजबूत पूंजी संरचना बनाए रखना है ताकि भविष्य के विकास और अपने व्यवसाय के विकास को बनाए रखने के लिए निवेशक और लेनदारों का विश्वास बनाए रखा जा सके। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने या आवश्यक समायोजन करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

टिप्पणी- 35

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

31 मार्च, 2021 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

35.1 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत जारी परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-Min दिनांक 7 अगस्त, 1973 और आदेश संख्या 7/6/69-Min (PSU) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के माध्यम से कंपनी को टर्नओवर, कच्चे माल की खपत से संबंधित मात्रात्मक जानकारी तथा उत्पादित माल के प्रारंभिक एवं अतिम स्टॉक, खरीदी की गई या अधिग्रहित कच्ची सामग्री, लाइसेंस प्राप्त क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन से संबंधित जानकारी को प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, वर्ष 2003-04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 10/8(12)/2004-पीएसयू/448 के माध्यम से कंपनी के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं की जाएगा और ना ही विशेष रूप से किसी अकेक्षण रिपोर्ट में इन आकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।

35.2 कंपनी ने तुम्मलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष : 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वर्ष : 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष : 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोड़ा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 288.20 एकड) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त किया है। 1128.32 एकड़ भूमि के नरवापहाड़ खनन पट्टे क्षेत्र का विस्तार 27.01.2013 से पूर्वव्यापी रूप से संपूर्ण निक्षेप समाप्त होने तक, और गोगी परियोजना में 8.62 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है।

35.3 कंपनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से अधिग्रहण की गई 1548.09 एकड़ (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि की अनुमति प्राप्त करके अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में है, जिससे सम्बंधित पंजीकरण का औपचारिक विलेख लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रु.) को सम्बंधित मद ''पट्टाधृत भूमि" तथा "पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि' के तहत कंपनी की चल सपत्ति में शामिल किया गया है।

कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए मांग-पत्र (डिमांड नोट) का भुगतान कर दिया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

35.4 परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :-

परियोजना पूर्वव्यय :-

(1) लांबापुर परियोजना (रु.920.91 लाख) :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एसपीसीबी) और खान और भूविज्ञान विभाग, तेलंगाना सरकार से क्रमशः स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) और खनन पट्टे के अनुदान की प्रतीक्षा है।

ख) के.पी.एम. परियोजना (रु.1004.76 लाख) :

परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश के बाद, शिलांग में यूसीआईएल का कार्यालय बंद है और परियोजना संबंधी सभी गतिविधियाँ निलंबित हैं।

ग) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना (रु. 238.15 लाख) :

यूसीआईएल ने 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक की मौजूदा सुविधा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए तुम्मलापल्ले परियोजना, आंध्र प्रदेश का विस्तार किया है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2010 में तैयार की गई थी। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को सौंप दिया गया।

इसके बाद आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) ने 06.01.2021 को पर्यावरण जन सुनवाई के लिए अधिसूचित किया। इस बीच, स्थानीय एनजीओ ने यूसीआईएल की विस्तार गतिविधि को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में 29.12.2020 को एक रिट याचिका (पीआईएल) संख्याः 323ध्2020 दायर की। रिट याचिका के आधार पर, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने 31.12.2020 को स्टे अ२र्डर जारी किया।

फलस्वरूप, यूसीआईएल ने स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए 04.01.2021 को जवाबी हलफनामा दायर किया। दिनांक 16.01.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन को खाली करने का आदेश जारी किया और जनसुनवाई करने की अनुमति दी। हालांकि, हमारे अनुरोध पत्र दिनांक 17.05.2021 के जवाब में, एपीपीसीबी ने अपने पत्र संख्याः के-216/पीसीबी/आरओ/केडीपी/2021-48 दिनांक 19.05.2021 के माध्यम से सूचित किया कि COVID-19 महामारी के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण जन सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है।

मेकॉन ने तुम्मालपल्ले विस्तार का संशोधित मसौदा विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) प्रस्तुत किया।

घ) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में कन्नमपल्ले परियोजना (रु. 227.17 लाख) :

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कन्नमपल्ले जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप, एएमडी ने एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मेकॉन ने कन्नमपल्ले परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा (नियम-6(2), एएमसीआर, 2016 के तहत) आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के बाद यूसीआईएल को खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

ङ) कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी और कंचनकई परियोजनाएं (रु.460.61 लाख):

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गोगी जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप, एएमडी ने एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस बीच, गोगी से सटे कंचनकई में एक नई जमा की खोज एएमडी द्वारा पूरी की गई है। कंचनकई जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप, एएमडी ने एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एक सामान्य अयस्क प्रसंस्करण सुविधा की दृष्टि से, मेक२न ने कंचनकई परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है, जबकि गोगी परियोजना के लिए टीईएफआर का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) कर्नाटक द्वारा राज्य सरकार (नियम-6(2), एएमसीआर, 2016 के तहत, यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद दोनों परियोजनाओं के लिए एमओईएफएंड सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्थलों पर सीएसआर गतिविधियां जारी हैं।

च) राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना (रु.1663.30 लाख) :

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया जा रहा है। एएमडी की ओर से अन्वेशी खनन गतिविधियां, यूसीआईएल और

एएमडी के बीच समझौते के अनुसार, एएमडी की ओर से, यूसीआईएल द्वारा शुरू किया गया है। भूमिगत कामकाज तक पहुँचने के लिए एक डिक्लाइन का पोर्टल 188 मीटर तक विकसित किया गया है। बाद में एक चरण में किए जाने वाले वाणिज्यिक खनन अभियान के दौरान आवश्यक औद्योगिक और पीने के पानी की भविष्य की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सीकर के नगर परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए, मेसर्स मेकॉन को सलाहकार के रूप में व्यस्त किया गया है। मेकॉन ने अयस्क निकाय का डी मॉडल तैयार किया है और उसने यूसीआईएल द्वारा समीक्षा-3 के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एएमडी ने पहले ही भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को डीएमजी, राजस्थान को सौंप दिया है। राज्य सरकार द्वारा [नियम-6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), राजस्थान द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। खनन पट्टा एवं वन स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

छ) यूरेनियम प्राप्ति संयंत्र (मुसाबनी) (रु.148.93 लाख) :

यूसीआईएल ने मुसाबनी में 0.9 MTPA की कुल क्षमता वाले दो यूरेनियम रिकवरी प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के मुसाबनी कॉन्सेंट्रेटर प्लांट में उत्पन्न होने वाले क२पर टेलिंग्स के भौतिक लाभ (टैबलिंग) द्वारा यूरेनियम सांद्रता करने के लिए, इसके बाद यूसीआईएल के जादुगोड़ा के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र में हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (HTUP) के उत्पादन के लिए की जाएगी। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) एमओईएफ द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC) द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है। पानी, बिजली की आपूर्ति और भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए गए हैं और प्रक्रिया में हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा कॉपर टेलिंग का अनुमानित उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसकी समीक्षा की जा रही है।

ज) छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जाजवाल परियोजना (रु.89.77 लाख):

एएमडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर के पास प्रस्ताव जाजवल परियोजना के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है। MECON को टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में लगाया गया है। एएमडी ने एएमसीआर-2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, छत्तीसगढ़ सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा [नियम-6(2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है।

झ) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गरडीह परियोजना (रु.27.04 लाख रुपये) :

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर-2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा [नियम-6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), झारखंड द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है।

झ) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बानाडुंगरी परियोजना (शून्य):

मेकॉन को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर-2016 के नियम-4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खान एवं भूविज्ञान निदेशालय,

झारखंड सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा [नियम-6(2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), झारखंड द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

चालू परियोजना :

(1) तुरामडीह मिल विस्तारीकरण (रु.4624.27 लाख) :

हालांकि एमओईएफसीसी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए सिफारिश की है, लेकिन चरण-I लंबित होने के कारण पर्यावरण मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद, एईआरबी मंजूरी के लिए आवेदन जमा किया जाएगा।

(2) तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट (रु. 2327.32 लाख) :

तुरामडीह और बंदुहुरांग खान के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। तुरमडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट को उप-उत्पाद के रूप में, कोयला वॉशरियों में इसके उपयोग के लिए चुंबकीय सामग्री और सूक्ष्मता के संदर्भ में बहुत उच्च गुणवत्ता के मैग्नेटाइट के रूप में उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(3) सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना (रु. 3916.92 लाख) :

तुम्मलापल्ले में पर्यावरणीय निर्वहन की उन्नत गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मेकॉन द्वारा डिजाइन आधार रिपोर्ट, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना प्रस्तुत किया गया है। डीपीईआर का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जादूगोड़ा मिल में मिश्रित लीच्ड स्लरी को संभालने के लिए सिस्टम संशोधन के लिए सिविल कार्य, उपकरण का निर्माण आदि पूरा कर लिया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 में पूरा होने की उम्मीद है।

(4) भाटिन खान आधुनिकीकरण परियोजना (शून्य) :

खदान के गहरे क्षितिज के विकास और मौजूदा सेट-अप का उपयोग कर 200 टीपीडी अयस्क के उत्पादन के लिए निविदा खोली गई और तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।

(5) झारखंड में भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण (शून्य):

भू-खनन की बदलती स्थिति, विकसित हो रहे भूमिगत खनन लेआउट और खनन उपकरणों की बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए, भूमिगत खदानों के निष्पादन को बनाए रखने और सुधारने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इसलिए, इस परियोजना को झारखंड में ट्रैकलेस भूमिगत खानों में अगले पांच वर्षों के लिए उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए नए उपकरणों की खरीद के साथ-साथ मौजूदा उपकरणों के ओवरहालिंग के माध्यम से नवीनतम उपलब्ध मशीनीकरण/प्रौद्योगिकी के उन्नयन और अपनाने के लिए लिया गया है। इस परियोजना में 156.21 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल लागत के साथ 27 नए उपकरणों की खरीद और 20 चल रहे उपकरणों की ओवरहालिंग शामिल है। 20 उपकरणों में से 10 उपकरणों का ओवरहालिंग मार्च 2021 तक लगभग 16 करोड़ रुपये की कुल लागत से किया गया है। नए उपकरणों की खरीद अंतिम चरण में है।

35.5 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का अग्रिम, समाधान, पुष्टीकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो तो।

35.6 आतंरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए किसी भी तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य परिसंपत्तियों की वहन लागत से अधिक है।

35.7 कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु कंपनी 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिसके अपने स्वयं के नियम हैं और इसे क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त (आरपीएफसी), पटना एवं आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। तथापि, आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि कंपनी ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है और कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ तथा 1997 से परिवार पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है और इस पर अपील दायर की है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (ईपीएटी), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूकि कंपनी ईपीएफ एक्ट

1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ईपीटी के समक्ष अपील लंबित होने का कारण नहीं बनता है।

35.8 तुलन-पत्र तिथि पर कार्य दायित्व अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है। अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार बिलों के लंबित अंतिम निपटान का उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति के मामले में पूजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है।

35.9 वित्तीय वर्ष 2012-2013 में मेसर्स एनपीसीआईएल से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। अब तक हुए समझौते के अनुसार ऋण पर ब्याज को बही-खातों में प्रावधान के रूप में रखा गया है। ऋण लेने की तिथि से मेसर्स एनपीसीआईएल को कोई ब्याज नहीं दिया गया है।

35.10 वर्ष 2018-2019 में त्योहार संबंधी भत्ते के 11.50 करोड़ के प्रावधान को भुगतान से समायोजित नहीं किया गया था। इसे चालू वर्ष में हमारी लेखा नीति के अनुसार दावा न की गई देयता के रूप में बुक किया गया है।

35.11 नरवापहाड़ खदान के खनन पट्टा विलेख के लिए वर्ष 2017-2018 में 1.65 करोड़ रुपये का पूर्व भुगतान किया गया था। खनन पट्टा विलेख वास्तव में वित्त वर्ष 2019-2020 में निष्पादित किया गया था। हमारी लेखा नीति के अनुसार चालू वर्ष में लाभ-हानि खाते में पूर्व-भुगतान प्रभारित किया गया है।

35.12 बगजाता खनन परियोजना के लिए 375 मीटर गहराई वाले वर्टिकल शाफ्ट की डिजाइनिंग, सिंकिंग, लाइनिंग और लैस करने का कार्य मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 24.76 करोड़ रुपये की लागत से प्रदान किया गया था। चूंकि, ठेकेदार ने काम को पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत के लिए 103.47 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए विवाचन की है। ठेकेदार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय रांची गया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उक्त के आधार पर मैसर्स यूसीआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची के समक्ष अपील की है। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है।

35.13 मोहुलडीह खदान में 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और इसके उपकरण का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 18.63 करोड़ रुपये की लागत से दिया गया था। चूंकि, ठेकेदार ने काम को पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत के लिए 102.42 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए विवाचन की है। विवाचन कार्यवाही लंबित है क्योंकि बागजाता खान से संबंधित समानांतर विवाचन मामला झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय, रांची में लंबित था।

35.14 परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश पर केपीएम परियोजना को बंद कर दिया गया था। केपीएम परियोजना के लिए किए गए संपूर्ण पूर्व-परियोजना खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 1004.75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। प्रावधान चालू वित्तीय में दिखाया गया है।

35.15 आस्थगित कर देयता को वित्त वर्ष 2019-2020 में रु.14694.66 लाख के बजाय रु.16486.11 लाख के रूप में दिखाया गया था। हमारी लेखा नीति के अनुसार, उपरोक्त के प्रभाव पूर्व अवधि से लिए गए हैं और वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट को तदनुसार फिर से स्थापित किया गया है।

35.16 'पूर्व अवधि समायोजन' से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव रु.1359.20 लाख है और 'छुट्टी यात्रा रियायत लाभ' से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव शून्य है।

35.17 विश्व स्तर पर और भारत में कोविद-19 के प्रकोप के कारण, कंपनी के प्रबंधन ने व्यापार और वित्तीय जोखिमों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं होने का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। प्रबंधन को कंपनी की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है और जब भी वे देय हों, अपनी देनदारियों को पूरा करते हैं। महामारी के कारण, कंपनी भविष्य की अवधि में राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं की पहचान करने के लिए विकास की निगरानी करती है।

35.18 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जब भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी '1' से '35' तक हस्ताक्षर

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता	**राजेश कुमार**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एईआरपीजी9596सी	डीआईएनः 09217107	डीआईएनः 07252959	डीआईएन 03497356

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित

कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN : 323212E

CA राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या : 063654

स्थान : मुंबई
दिनांक :
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D1068

नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़ कर से पहले लाभ/(हानि) के लिए समायोजनः		**62,320.73**	**59,683.38**
- मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.6	22,698.62	25,725.51
- बैंकों के पास जमा पर ब्याज	22	(1,671.58)	(1,727.34)
- ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	22	(160.24)	(78.97)
- वित्तीय खर्च	25	68.07	1,059.79
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		83,255.60	84,662.37
कार्यशील पूंजी समायोजनः			
- (वृद्धि)/व्यापार प्राप्य में कमी	9	6,616.12	(53,584.23)
- (वृद्धि)/ऋण और अग्रिमों में कमी	6	(138.42)	(105.86)
- (बढ़ाएँ)/आविष्कारों में कमी	8	1,799.46	(761.81)
- (बढ़ाएँ)/अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी	13	(4,313.14)	(1,356.51)
- (वृद्धि)/अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी	12	(644.90)	(5,986.84)
- व्यापार के भुगतान में वृद्धि/(कमी)	16;इद्ध	2,631.04	2,305.64
- प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	17	(1,356.37)	33.73
- अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	16;बद्ध	(6,888.10)	20,653.19
- अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	20	(729.41)	1,551.17
संचालन से नकदी उत्पन्न हुई		80,231.88	47,410.85
आयकर चुकाया		(17,840.21)	(9,811.68)
ऑपरेटिंग गतिविधियों/(में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह		**62,391.67**	37,599.17
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	3	(15,677.48)	(20,774.03)
(वृद्धि)/कैपिटल WIP में कमी	4	3,877.98	7,601.34
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	7	165.58	(94.47)
ऋण और अग्रिम पर ब्याज (वित्त आय)	22	160.24	78.97
बैंकों के पास जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	22	1,671.58	1,727.34
नकद/नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में वृद्धि/कमी (कमी)	11	(975.73)	5,150.48
नेट कैशफ्लो/(इस्तेमाल में) निवेश गतिविधियों (बी) से		**(10,777.83)**	(6,310.37)
वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी के मुद्दे से कार्यवाही (लंबित आवंटन सहित)	15	1,000.00	1,500.00
उधार से आगे बढ़ता है			
उधार का भुगतान	16(a)	-	(10,000.00)
सूद अदा किया	15	(16,042.00)	(6,426.00)
लाभांश वितरण कर	15		(1,320.88)
ब्याज भुगतान	25	-	(1,000.27)
वित्तीय गतिविधियों (/में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह		**(15,042.00)**	(17,247.15)
नगद और नगद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (A+B+C)		36,571.84	14,041.67
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	10	32,204.78	18,163.11
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	10	68,776.62	32,204.78

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	**बी सी गुप्ता**	**राजेश कुमार**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 063654	एईआरपीजी9596सी	डीआईएनः 09217107	डीआईएनः 07252959	डीआईएन 03497356

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30.07.2021
यूडीआईएन : 21063654AAAAC D 1068

पच्चीस वर्ष का सार–संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1996-97	8601	1037	3141.5	1404.8	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107	3429.6	1067.3	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	6495	177.5
1999-00	14533	1461.9	4522.2	1685.2	5361.4	1307.9
2000-01	14797	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	179195	17335	40739	21963	86747	12410
2018-19	203479	17984	47126	21085	77501	39783
2019-20	241959	18174	54070	25723	84309	59683
2020-21	235290	15378	54059	22695	80837	62321

कर पश्चात लाभ / हानि	पूँजी	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
(-) 854	36922.3	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	1523	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	1808	34057.7	10039.8	24018	4385
1151.1	41982.3	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	181562	84559	255073	44477	210596	4781
21420	206962	76432	259256	65559	193693	4629
48205	206962	113865	281910	91339	190571	4672
47074	209462	146263	297587	114038	183550	4536

युसिल द्वारा सीएसआर पहल

सोडियम हाईपोक्लोराइड छिड़काव गतिविधि का एक दृश्य

Celebration of World Environment Day

युसिल द्वारा सीएसआर पहल

कनमपल्ले मे टैकरों एवं ओभरहेड टैकरों के द्वारा पानी की आपूर्ति

मैकपल्ले और तुम्मापल्ले मे सोलर लाइट की स्थापना

युसिल द्वारा सीएसआर पहल

गरीब ग्रामीणों को भोजन और आवश्यक बस्तुओं का वितरणः डीसी राहत कोष में दान

यूसीआईएल कैटीन के पत्ता दोना की खरीदारी
सीएसआर आय सृजन/महिला सशक्तिकरण

यूसीआईएल जादुगोड़ा में गणतत्रं दिवस पर ध्वजारोहण समारोह